

कार्यालय—प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून। F-Mnil ID: nodalofficerddn@gnnil.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रोक-272 /12-1 ःदेहरादूनःदिनांकः 0

01-08-2024

सेवा में.

उप वन गहानिरीक्षक (के0), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन गंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25, स्भाष रोड़, देहरादून।

- विष जनपद—रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत नव सिर्जित राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (कुण्डादानकोट) के भवन निर्माण हेतु 2.00 है0 वनभूमि का भैर वानिकी कार्यों ऐतु राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन । (PROPOSAL NO.- FP/UK/Others/44711/2020)
- सन्दर्भः—भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक–8बी / यूoसीoपीo / 09 / 140 / 2021 / एफoसीo / 74 दिनांक 26.04.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत EDS की सूचना वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी के पत्रांक 116/12–1 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र0सं0	1	निराकरण		
1	उल्लंघन के संबंध में	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के पत्रांक 4019/12		
	राज्य सरकार से अनुरोध	–1(2) दिनांक 20.06.2024 से अवगत कराया गया है कि–		
	है कि IFA 1927 के प्रांसगिक प्रावधानों के	i- विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर परिवेश पोर्टल पर		
	अनुसार मामले निपटन	31–07–2015 को ऑनलाईन अपलोड किया गया। (संलग्नक–1)		
	किया जाए। हालांकि,	ii- जानकारी के अभाव में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। रुद्रप्रयाग वन		
	यदि किसी व्यक्ति/	प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत अगस्तयमुनि रेंज ने अपने पत्रांक–260 / 12		
	प्राधिकरण द्वारा कोई	दिनाक 23–10–2015 के द्वारा बिना वन भूमि हस्तान्तरण के किये जा		
	आदेश दिया गया है, तो	रहे निर्माण कार्य पर तत्काल कार्य पर रोक लगाये जाने हेतु नोटिस		
	उसका विवरण प्रदान	जारी किया गया। (संलग्नक–2)		
	करने का कष्ट करें	iii- संस्था के पत्रांक-362-63/भूमि हस्तान्तरण विशयक/2015-16		
	ताकि FCA 1980 के तहत	दिनांक 02.11.2015 के द्वारा निर्माण ऐजेन्सी को निर्माण तत्काल कार्य रोकने को कहा गणा। (गांगाया कार्य)		
	कार्यवाही की जा सके।	रोकने को कहा गया। (संलग्नक–33)		
		iv- संस्था के पत्रांक संख्या—372 / भूमि विषयक / 2015—16 दिनांक 04—11—2015 के द्वारा उक्त सूचना वन विभाग को प्रेषित की गई।		
		(संलग्नक–3ब)		
		v- वर्तमान तिथि तक कार्य पूर्ण रूप से रूका हुआ है।		
	di Silana - Sila Sila	vi- निर्माण कार्य संबंधित सूचना प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग के पत्रांक–		
		1304/12 1(2) दिनांक 05.11.2015 (रांलग्नक 4) के द्वारा पूर्व में		
		वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रेशित की गई एवं		
		प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 को स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन		
		संबंधित विवरण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक-5) तथा परिवेश		
		पोर्टल के पैरा–11 (संलग्नक–6) में अंकित कर ऑनलाईन अपलोड		
		किया गया।		
		vii- चूंकि प्रस्ताव गठित के बाद निर्माण कार्य अवैध रुप से किया गया था।		
		अतः IFA 1927 में कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी, परन्तु वन संरक्षण		
	영영 것은 사람님	अधिनियम 1980 के तहत उल्लंघन संबंधी सूचना अग्रिम कार्यवाही हेत्		
		उच्च स्तर को प्रेषित कर दी गई थी।		

2		
	इसके अतिरिक्त आपको	उयत यिन्दु के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग
	यह भी अवगत कराना है	द्वारा अवगत कराया गया है कि-
	कि दिनांक	1. प्रश्नगत प्रस्ताव हेतु शासनादेश संख्या-790/XLI-1/2013-79/13 दिनांक 2
	24-01-2022 के	08.2013 के द्वारा ए०आई०सी०टी०ई० के मानकानुसार संचालन हे
	दिशानिर्देशों के अनुसार	08.2013 के धारा २००१२० राजवार्य के अन्तर्गत चोप
	एफ०सी०ए० 1980 के	जनिपद-रुद्रप्रयोग के विधानसना क्षेत्र प्रयोगीने के जन्म
	तहत अनुगोदन पर	(तल्ला नागपुर) नागक रथान पर राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान व
	विचार करने हेतु किसी	रथापना की रवीकृति की गई। (रांलग्नक-7)
	•	2. शासनादेश संख्या-1287/X1.1-1/2013-107/13 दिनांक 03.03.2014 के द्व
	भी non-site specific	उक्त प्रकरण के भवन निर्माण हेतु वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्रद
	acitivity प्रस्ताव पर	की गई। (रांलग्नक–8)
	विचार नहीं किया जा	3. शासनादेश संख्या-66/X1.1-1/2014-11/2014 दिनांक 04.07.2014 के द्व
	सकता है। दिशानिर्देश	उक्त नवसुजित राजकीय पॉलीटेक्निक, चोपता में पदों/पाठ्यक्रमों
	इस प्रकार है-	राजन∕स्वीकृती प्रदान की गयी। (रांलग्नक–9)
		स्ति र र भाषा के भाषा के साम से भाषा के
	"Utilization of forest	4. प्रकरण के भवन निर्माण हेतु स्थान चोपता के आसपास गैर वन भूमि व
	area for establishing	तलाश हेतु कतिपय प्रयास किये गये, किन्तु मानकानुसार गैर वन भू
	industries, construction	उपलन्भ नहीं हो पाई।
	of residential colonies,	5. प्रधाानाचार्य राजकीय पॉलीटक्निक गौचर नोडल अधिकारी चोपता
	institutes, disposal of fly	पत्रांक संख्या—693 / नया० पॉली०चोपता / 2013—14 दिनांक 18—09
	ash, rehabilitation of	2013 के द्वारा जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग को नवसृजि
	displaced persons, etc.	पॉलीटेक्निक हेतु AICTE के मानकानुसार 2.00 है0 भूमि उपलब्ध कर
	are non-site specific	हेतु अनुरोध किया। (संलग्नक–10)
	activities and cannot be	
	considered on forest	6. जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को पत्र संख्या–2586/छब्बास–12/2013– निनांन २० ०० ००४४ से नाम नवन प्रहाण के निर्णाण देव नागनिव भ
	land as a rule. For that	दिनांक 26–03–2014 के द्वारा उक्त प्रकरण के निर्माण हेतु चयनित भू
	matter, no non-site-	के संबंध में संस्थान को अवगत कराया गया। (संलग्नक-11)
	specific proposal can be entertained for	7. उपरोक्तानुसार चयनित भूमि का दिनांक 12-02-2015 को संयुव
	considering approval	निरीक्षण कराया गया व निरीक्षणोंपरान्त चयनित भूमि प्रश्नगत प्रकरण
	under the FCA 1980. In	निर्माण हेतु उपयुक्त पाई गयी। (संलग्नक–12)
	exceptional	8. तत्प चात् चयनित वन भूमि के समस्त अभिलेख/वन भूमि हस्तान्तर
	circumstances,	प्रस्ताव तैयार कराते हुए संबंधितों के हस्ताक्षरोपरान्त अन्य औपचारिक
	residential projects upto	पूर्ण करते हुए दिनांक 31–07–2015 को परिवेश पोर्टल प
	one ha, can be	ऑनलाईन अपलोड (Proposal NoFP/UK/OTHERS/14241/2015) कर
	considered for approval	हुये उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। (संलग्नक–13)
	under FCA 1980 by the	हुव ७०० सार का प्रापंत किया नगरी (राखनाक)
	MoEF&CC, subject to	9. जानकारी के अभाव में त्रुटिवश चयनित स्थल पर निर्माण कार्य प्रार
	appropriate justification	किया गया, जिसके निस्तारण/समाधान हेतु अपर सचिव उत्तराखप
	and recommendation hy	भाासन की पत्र संख्या—912 / X—4—18 / 1(654) / 2015 दिनां
	the concerned state	10—09—2015 के द्वारा दिनांक 05—09—2018 को बैठक निर्धारित व
	Government and the	गई। (संलग्नक–14)
	Regional Officer of the	10. उक्त निर्धारित तिथि को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुस
	IRO of MoEFCC."	प्रस्ताव में समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने (जैसे-दण्डात्म
	जगर्भवच निषप निर्वेष्णें के	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल 8.00 हैं0 का चयन, पोर्टल प
	उपर्युक्त दिशा निर्देशों के	तकनीकि समस्या आदि) में काफी कठिनाईयां उत्पन्न हुई, जिस का
	अनुसरण में राज्य	लम्बा समय व्यतीत हो गया।
	सरकार से अनुरोध है	तम्बा समय प्यतिति हो गया। 11. समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये प्रस्ताव पुनः नये सिरे
	कि उक्त उद्दे य हेतु	
	गैर वन भूमि का चयन	ऑनलाईन उच्च स्तर/भारत सरकार को प्रेशित किया गया।
	करने का कष्ट करें।	12. तत्पश्चात् भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्राल
		देहरादून की पत्र संख्या-8बी/यू०सी०पी०/09/140/2021/एफ०र्स
		/ 1373 दिनांक 27.01.2022 के द्वारा 19 बिन्दु की आपत्तियों
		निराकरण हेत् प्रस्ताव को ऑनलाईन वापस भेजा गया। (संलग्नक-15
		13 उक्त आपत्तियों का निराकरण करते हुये संस्था के पत्रांक-209/भू
		ह0 / 2022–23 दिनांक 03–09–2022 द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिना

	08-09-2022 ऑनलाईन आपलोड करते हुये उच्च स्तर को प्रेषित
	किया गया। (संलग्नक–16)
	14. पुनः भारत सरकार की पत्र संख्या-8बी/यू०सी०पी०/09/140/2021
	/एफ0सी0/1056 दिनांक 01-11-2022 के द्वारा 06 आपत्तियों के
	निराकरण हेतू साथ प्रस्ताव को ऑनलाईन वापस भेजा गया।
	(संलग्नक–17)
신만의 물건없이 그 나이가 !	15. उक्त आपत्तियों का पूर्ण निराकरण करते हुये संस्था के
가슴에 집안 한 것을 하는 것으로 했다.	पत्रांक-449/भूमि ह0/2022-23 दिनांक 20-02-2023 के द्वारा
성장 문제에서 관심 관계가 입장하는 것	परिवेश पोर्टल पर दिनांक 21-02-2023 को ऑनलाईन आपलोड करते
	ह्ये प्रभागीय कार्यालय को प्रेषित की गई। (संलग्नक–18)
	15. उक्त सूचना प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग की पत्र
	संख्या−3043 / 12−1(2) दिनांक 06.03.2023 के द्वारा परिवेश पोर्टल
	पर दिनांक 20.03.2023 को ऑनलाईन आपलोड करते हुये उच्च स्तर
	को प्रेशित की गई। (संलग्नक–19)


अतः वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी/प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित 2023 के तहत यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

(आर0क0 मिश्र) वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून।

<u>संख्या– 272 /12–1 दिनांकित।</u> प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः– वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
 प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग। 3. प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता, रूद्रप्रयाग।

(आर०कं० मिश्र) प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून।



रोवा में

विषय-

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोखल अधिकारी,

चन संरक्षण, चेहरातून।

जनपद-ऊद्रप्रयाग के अन्तर्गत नय शिर्जित राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (कुण्डादानकोट) के भवन निर्माण हेतु 2.00 है0 चनभूमि का भेर वानिकी कार्यों हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, छद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में। P. NO.- FP/UK/OTHERS/44711/2020 भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्नाक 8बी, / सु.सी.पी. / 09 / 140 / 2021 / एफ.सी0 / 74 दिनांक 26.04.2023

गहोत्य,

एन-राग-

छपरोवत सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक 4019 / 12-1(2) दिनांक 20.06.2024 से अवगत कराया गया है कि भारत सरकार स्तर से चाही गई सूचना प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटैविनक चोपता, रुद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक-82 / भूमि ह0 / 2024-25 दिनांक 31.05.2024 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग को निम्न प्रकार प्रेषित किया है, तथा जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन पार्ट-। के additional information detail के क्र0सं0-49 में ऑनलाईन अपलोक किया गया है।

35.	इन अपलाख किया गया छ चाही गई सूचना	निराकरण
1	उल्लंघन के संबंध में राज्य सरकार से अनुरोध है कि IFA 1927 के प्रांसगिक प्रावधानों के अनुसार मामले निपटन किया जाए। हालांकि, यदि किसी व्यक्ति/ प्राधिकरण द्वारा कोई आदेश दिया गया है, तो उसका विवरण प्रदान करने का कष्ट करें ताकि	
[F]	FCA 1980 के तहत कार्यवाही की जा सके।	कहा गया। (संलग्नक–33) iv- संस्था के पत्रांक संख्या–372/भूमि विषयक/2015–16 दिनांक 04–11–2015 के द्वारा उक्त सूचना वन विभाग को प्रेषित की गई। (संलग्नक–3ब) v- वर्तमान तिथि तक कार्य पूर्ण रूप से रूका हुआ है। vi- निर्माण कार्य संबंधित सूचना प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग के पत्रांक– 1304/12–1(2) दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक–4) के द्वारा पूर्व में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रेषित की गई एवं प्रकरण
4	12 + 2 521151- 12 + 2 521151- 1 - 21 - 221 -24	का दिनांक 06.11.2015 को स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विवरण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक–5) तथा परिवेश पोर्टल के पैरा–11 (संलग्नक–6) में अंकित कर ऑनलाईन अपलोड किया गया। vii- चूंकि प्रस्ताव गठित के बाद निर्माण कार्य अवैध रुप से किया गया था।
120	-24	अतः IFA 1927 में कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी, परन्तु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उल्लंघन संबंधी सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित कर दी गई थी। क्रमशः पेज 02 पर
JAIDE	EP अपर प्रमुख वन	कांवलिय संरक्षक एवं नोडल अधिकारी मर्केष्ठण निदेशालय उत्तराखण्ड

वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून ५१२ E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Pex,

And the second states and second		ग्गीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अपनेद्धाः
2	इसके अतिरिक्त आपको प्रभ	भागत कराया गया है कि- अवगत कराया गया है कि-
-	यह भी अवगत कराना ह स	अवगत कराया गया है कि- प्रश्नगत प्रस्ताव हेतु शासनादेश संख्या–790/XLI-1/2013-79/13 दिनाव, प्रश्नगत प्रस्ताव हेतु शासनादेश संख्या–790/XLI-1/2013-79/13 दिनाव,
		प्रश्नगत प्रस्ताव हेतु शासनादश संख्या गण्णमाम मान्यनुसार संचालन हेतु 22.08.2013 के द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार संचालन हेतु
	के दिशानिर्देशों के	22.08.2013 के द्वारा ए0आइ0स10ट10इ0 के आनंतर्गत चोपता (तल्ला जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्ला
	अनुसार एफ0सी0ए0	जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र कदारगाय पर जनाम की स्थापना की नागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना की
	1980 के तहत अनुमोदन	नागपुर) नामक स्थान पर राजकाय पालाटाय कि तरक
	पर विचार करने हेतु	
	किसी भी non-site 2	
	specific acitivity प्रस्ताव	द्वारा उक्त प्रकरण के भवन निमाण हुए विसाय श्रासा में
	पर विचार नहीं किया जा	
	सकता है। दिशानिर्देश 3	\sim
	इस प्रकार है-	ज्यतन नवसजित राजकीय पालटिकिनक, योपता न पर्या नाष्ट्रका स
2	area for establishing	े
	industries, construction	4. प्रकरण के मवन निर्माण हुए स्वान जायता के जाय के साम के स्वान भूमि तलाश हेतु कतिपय प्रयास किये गये, किन्तु मानकानुसार गैर वन भूमि
	of residential colonies.	
	institutes, disposal of fly	- म्ल्फ्रिय प्रान्तिय प्रतितिकिनक गांचर नाडल आधकारा यापरा पर्
	asii, tonaomaaton +=	
	displaced persons, etc.	\rightarrow
	are non-site specific activities and cannot be	क द्वारा जिलाविकारी गहायेष, रुप्रमान में प्रमुख कराने हेतु अनुरोध AICTE के मानकानुसार 2.00 है0 भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध
	considered on forest	$\frac{1}{1}$
•	land as a rule. For that	<u>र चिन्नणिकामी कटाग्राम की पत्र संख्या–2586/छब्बोस–12/2013–14</u>
	matter, no non-site-	6. जिलावियगरा (७४९४पान पर्म) यहाँ पुकरण के निर्माण हेतु चयनित भूमि
2	specific proposal can be	के संबंध में संस्थान को अवगत कराया गया। (संलग्नक–11)
	entertained for	7. उपरोक्तानुसार चयनित भूमि का दिनांक 12-02-2015 को संयुक्त
19	considering approval under the FCA 1980. In	निरीक्षण कराया गया व निरीक्षणोंपरान्त चयनित भूमि प्रश्नगत प्रकरण के
-4 T	exceptional	निर्माण हेतु उपयुक्त पाई गयी। (संलग्नक–12)
	circumstances,	8. तत्पश्चात् चयनित वन भूमि के समस्त अभिलेख/वन भूमि हस्तान्तरण
	residential projects upto	प्रस्ताव तैयार कराते हुए संबंधितों के हस्ताक्षरोपरान्त अन्य औपचारिकता
	one ha, can be	पूर्ण करते हुए दिनांक 31–07–2015 को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन
	considered for approval	अपलोड (Proposal NoFP/UK/OTHERS/14241/2015) करते हुये
	under FCA 1980 by the MoEF&CC, subject to	उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। (संलग्नक–13)
	appropriate justification	
	and recommendation hy	9. जानकारी के अमाव में त्रुटिवरी वयानत स्थल पर निर्मान प्रतय है. किया गया, जिसके निस्तारण/समाधान हेतु अपर सचिव उत्तराखण्ड
ov tre su Éta	the concerned state	
	Government and the	शासन को पत्र संख्या–9127 X–4–187 1(654)7 2013 विभाय 10–09–2015 के द्वारा दिनांक 05–09–2018 को बैठक निर्धारित की
	Regional Officer of the	
Sales and	IRO of MoEFCC."	गई। (संलग्नक–14) 10. उक्त निर्धारित तिथि को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रस्ताव
	उपर्युक्त दिशा निर्देशों के	में समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने (जैसे-दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण
an an gar, na Sa an an an ar	अनुसरण में राज्य सरकार	स्थल 8.00 है0 का चयन, पोर्टल पर तकनीकि समस्या आदि) में काफी
	से अनुरोध है कि उक्त	कठिनाईयां उत्पन्न हुई, जिस कारण लम्बा समय व्यतीत हो गया।
4 1 4 1	उद्देश्य हेतु गैर वन भूमि	काठनाइया उत्पन्न हुई, जिस कोरेण लन्बा सनय ज्यतात हो नगा। 11. समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये प्रस्ताव पुनः नये सिरे से ऑनलाईन
Carlo I.	का चयन करने का कष्ट	11. समस्त आपचारिकताय पूर्ण परता हुप प्रताप उक्त प्रकार ते कार्यकर
	करें।	उच्च स्तर/भारत सरकार को प्रेषित किया गया।
a da i		12. तत्पश्चात् भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र संख्या–8बी/यू०सी०पी०/09/140/2021/एफ०सी०
a Carlos .		दहरादून का पत्र संख्या-रुबा/ यूएसाएपाए/ ७७/ 140/ 2021
		/ 1373 दिनांक 27.01.2022 के द्वारा 19 बिन्दु की आपत्तियों के निराकरण
		हेतु प्रस्ताव को ऑनलाईन वापस भेजा गया। (संलग्नक-15)


क्रमशः पेज 03 पर

1/A-

JAIDEEP

L Side

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566



प्रस्तावित राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज के समन्वयक/प्रधानाचार्य ने उपरोक्त बिन्दुओं के अलावा यह भी कहा है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 26.04.2023 के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि दिनांक 24.01.2022 के दिशानिर्देशों के अनुसार एफ0सी0ए0 1980 के तहत अनुमोदन पर विचार करने हेतु किसी भी non-site specific activity प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है, जबकि यह प्रकरण उससे पूर्व में ही प्रकियाधीन था और इसमें भारत सरकार के आपत्तियों का निराकरण कर उच्च स्तर को प्रेषित किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज के समन्वयक / प्रधानाचार्य का अनुरोध है कि राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (कुण्डादानकोट) की स्थापना के लिए प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण को ही स्वीकार किया जाए।

प्रकरण आपके निर्णय हेत् अग्रेषित है। संलग्नकः– यथोपरि।

(आंकाश कुमार वर्मा) वन संरक्षक गढ्वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

<u>पत्रांकः 116 /12 | दिनांकित</u> प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

आकाश कुमार वर्मा) वन संरक्षक ढ़िवान वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

ई, गेल :- dford nyng @gmail.com फोन/ फीक्स मंठ := 01364 - 233505 :: क र्यालय उंप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग। पता -: गाई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रुद्रप्रयाग 4019 पत्रांक-112-1(2) दिनांक 20/06/2024 सेवा में, न संरक्षक, नाढ़वाल वृत्त, उत्तरा खण्ड, यौरी। जानपव-रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत नय रिार्जित राजकीय पॉलीटेकिनक चोपता (कुण्डादानकोट) के भवन विषय-निर्माण हेतु 2.00 हैं वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राजकीय पॉलीटेविनक चोपता, रुद्रप्रयाग को

प्रत्यावर्तन किये जारो के रावंध गें। PROPOSAL NO. - FP/UK/OTHERS/44711/2020

सन्दर्भ :-

भारत सरकार की भन्न संख्या-8वी. / यू.सी.पी. / 09 / 140 / 2021 / एफ.सी0 / 74 दिनांक 26.04.2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक वन भूमि हरतान्तरण प्ररताव में भारत रारकार रतर से वांछित सूचना प्रधानाचार्य, राजन्कीय पॉलीटैविनक चोपता, रुद्रप्रयाग ने उनके पत्रांक-82/गूगि ह0/2024-25 दिनांक 31.05.2024 के द्वारा निम्न प्रकार प्रेषित किया है, तथा जिसे प्ररतावक विभाग द्वारा ऑनलाईन पार्ट–। के additional information detail के क्र0सं0-49 में ऑनलाईन अपलोग किया गया है।

-	क्र॰सं॰	आपति	निराकरण
	1	उल्लंहान के संबंध में राज्य	प्रश्नगत प्रकरण में उल्लंघन के संबंध में संबंधित प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत
	a second	नामकार से अनुराध है कि IEA	कराया गया कि
1	1	के प्रासगिक प्रविधान्से ने	i- विषयांकित वन भूगि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर परिवेश पोर्टल पर
	6		31-07-2015 को ऑनलाईन अपलोख किया गया। (संलग्नक-1)
			ii- जानकारी के अभाव में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। रुद्रप्रयाग वन
		जामित / प्राधिकरण धारी कोई	प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत अगरतयमुनि रेंज ने अपने पत्रांक-260/12
		गारेषा दिया गया है, ती जसका	दिनांक 23-10-2015 के द्वारा बिना वन भूमि हरतान्तरण के किये जा
		चिन्यण प्रदान करने का फेल्ट करें	रहे निर्गाण कार्य पर तत्काल कार्य पर रोक लगाये जाने हेतु नोटिस
		FCA 1980 3 ETTE	जारी किया गया। (संलग्नक–2)
		तावि कार्यवाही की जा सके।	iii- संरथा के पत्रांक-362-63 / भूमि हरतान्तरण विषयक / 2015-16
		47 - ·	विनांक 02.11.2015 के द्वारा निर्माण ऐजेन्सी को निर्माण तत्काल कार्य
			रोकने को कहा गया। (संलग्नक–331)
			iv- संस्था के पत्रांक संख्या-372/भूमि विषयक/2015-16 दिनांक
			04—11—2015 के द्वारा उक्त सूचना वन विभाग को प्रेषित की गई।
			(संलग्नक—3ब)
	- 2 - ⁴		v- वर्तमान तिथि तक कार्य पूर्ण रूप से रूका हुआ है।
	•		vi- निर्माण कार्य संबंधित सूचना कार्यालय के पत्रांक-1304 / 12-1(2)
	1.5	and the second	दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक4) के द्वारा पूर्व में वन संरक्षक,
			गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रेषित की गई एवं प्रकरण का
		the second s	दिनांक 06.11.2015 को स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित
			विवरण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक–5) तथा परिवेश पोर्टल
	a to i s		के पैरा–11 (संलग्नक–6) में अंकित कर ऑनलाईन अपलोड
			किया गया।
			vii- चूंकि प्रस्ताव गठित के वाद निर्माण कार्य अवैध रुप से किया गया
	a su		था। अतः IFA 1927 में कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी, परन्तु यन
	1.4		संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उल्लंघन संयंधी सूचना अग्रिम
			कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित कर दी गई थी।
	12 100 100		

	इसके अतिरिक्त आपको यह भी अवगत कराना है कि दिनांक		इस संबंध में संबंधित प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि—
		1.	प्रश्नगत प्रस्ताव हेतु शासनादेश संख्या–790/XLI-1/2013-79/13 दिनांक 22.08.2013 के द्वारा ए०आई०सी०टी०ई० के मानकानुसार
N	अनुमोदन पर विचार करने हेतु किसी भी non-site specific acitivity प्रस्ताव पर विचार नहीं किस		संचालन हेतु जनपदरुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्ला नागपुर) नामक स्थान पर राजकीय
	प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है। दिशानिर्देश इस प्रकार है–	2.	पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना की स्वीकृति की गई। (संलग्नक–7) शासनादेश संख्या–1287/XLI-1/2013-107/13 दिनांक 03.03.
	"Utilization of forest area for		2014 के द्वारा उक्त प्रकरण के भवन निर्माण हेतु वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। (संलग्नक–8)
	construction of residential	3.	शासनादेश संख्या–66/XLI-1/2014-11/2014 दिनांक 04.07.2014 के द्वारा उक्त नवसृजित राजकीय पॉलीटेक्निक, चोपता में
	colonies, institutes, disposal of fly ash, rehabilitation of displaced persons, etc. are non-	4.	पदों / पाठ्यक्रमों के सृजन / स्वीकृती प्रदान की गयी। (संलग्नक–9) प्रकरण के भवन निर्माण हेतु स्थान चोपता के आसपास गैर वन भूमि
	site specific activities and cannot be considered on forest		की तलाश हेतु कतिपय प्रयास किये गये, किन्तु मानकानुसार गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई।
	land as a rule. For that matter, no non-site-specific proposal	5.	प्रधाानाचार्य राजकीय पॉलीटक्निक गौचर नोडल अधिकारी चोपता के पत्रांक संख्या—693 / नया0 पॉली0चोपता / 2013—14 दिनांक 18—09—2013 के द्वारा जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग को
	can be entertained for considering approval under the		18—09—2013 के द्वारी जिलाधिकारी महादय, रुद्रप्रयोग का नवसृजित पॉलीटेक्निक हेतु AICTE के मानकानुसार 2.00 है0 भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया। (सलग्नक—10)
	FCA 1980. In exceptional circumstances, residential	6.	उपलब्ध करान हतु अनुराध कियो। (सलग्नक–10) जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग की पत्र संख्या–2586/छब्बीस–12/2013–14 दिनांक 26–03–2014 के
	projects upto one ha, can be considered for approval under		द्वारा उक्त प्रकरण के निर्माण हेतु चयनित भूमि के संबंध में संस्थान को अवगत कराया गया। (संलग्नक–11)
	FCA 1980 by the MoEF&CC, subject to appropriate	7.	उपरोक्तानुसार चयनित भूमि का दिनांक 12–02–2015 को संयुक्त निरीक्षण कराया गया व निरीक्षणोंपरान्त चयनित भूमि प्रश्नगत प्रकरण
	justification and recommendation hy the	8.	के निर्माण हेतु उपयुक्त पाई गयी। (संलग्नक–12) तत्पश्चात् चयनित वन भूमि के समस्त अभिलेख/वन भूमि
	concerned state Government and the Regional Officer of the IRO of MoEFCC."		हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कराते हुए संबंधितों के हस्ताक्षरोपरान्त अन्य औपचारिकता पूर्ण करते हुए दिनांक 31–07–2015 को
	उपर्युक्त दिशा निर्देशों के अनुसरण	i	परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड (Proposal No FP/UK/OTHERS/14241/2015) करते हुये उच्च स्तर के प्रेषित किया गया (संतयनक—13)
fan Ersen 1997 - De 1997 - De 1997 - De 1999 - De	में राज्य सरकार से अनुरोध है कि उक्त उद्देश्य हेतु गैर वन भूमि का	9.	प्रेषित किया गया। (संलग्नक–13) जानकारी के अभाव में त्रुटिवश चयनित रथल पर निर्माण कार प्रारम्भ किया गया, जिसके निस्तारण/समाधान हेतु अपर सचिव
	चयन करने का कष्ट करें।	4.74 ° 8 14	जत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या—912 / X—4—18 / 1(654) / 2019 दिनांक 10—09—2015 के द्वारा दिनांक 05—09—2018 को बैठव
	i (10	निर्धारित की गई। (संलग्नक–14) जक्त निर्धारित तिथि को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसा
			प्रस्ताव में समस्त औपचारिकताये पूर्ण करने (जस-दण्डात्मद क्षतिपरक वक्षारोपण स्थल 8.00 है0 का चयन, पोर्टल पर तकनीवि
11	And a second		समस्या आदि) में काफी कठिनाईयां उत्पन्न हुई, जिस कारण लेम् समय व्यतीत हो गया।
		a dian among	. समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये प्रस्ताव पुनः नये सिरे ऑनलाईन उच्च स्तर/भारत सरकार को प्रेषित किया गया।
		12.	तत्पश्चात् भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्त भंत्रालय देहरादून की प संख्या
			संख्या—8बी / यू०सी०पी० / 09 / 140 / 2021 / एफ०सी० / 137 दिनांक 27.01.2022 के द्वारा 19 बिन्दु की आपत्तियों के निराकर हेतु प्रस्ताव को ऑनलाईन वापस भेजा गया। (संलग्नक—15)

(3) 5 13. उक्त आपत्तियों का निराकरण करते हुये संस्था के पत्रांक-209/भूमि ह0/2022–23 दिनांक 03–09–2022 द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 08–09–2022 ऑनलाईन आपलोड करते हुये उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। (संलग्नक–16) 14. पुनः भारत सरकार की पत्र संख्या-8बी/यू०सी०पी0/09/140/ 2021 / एफ0सी0 / 1056 दिनांक 01-11-2022 के द्वारा 06 आपत्तियों के निराकरण हेतु साथ प्रस्ताव को ऑनलाईन वापस भेजा गया। (संलग्नक–17) -15. उक्त आपत्तियों का--पूर्ण-निराकरण-करते-हुये- संस्था के 1 पत्रांक-449/भूमि ह0/2022-23 दिनांक 20-02-2023 के द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 21-02-2023 को ऑनलाईन आपलोड करते हुये प्रभागीय कार्यालय को प्रेषित की गई। (संलग्नक-18) 15. उक्त सूचना इस कार्यालय की पत्र संख्या–3043/12–1(2) दिनांक 06.03.2023 के द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 20.03.2023 को ऑनलाईन आपलोड करते हुये उच्च स्तर को प्रेषित की गई। (संलग्नक–19) यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 26.04.2023 के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि-दिनांक 24.01.2022 के दिशानिर्देशों के अनुसार एफ0सी०ए० 1980 के तहत अनुमोदन पर विचार करने हेतु किसी भी non-site specific activity प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय औपचारितायें पूर्ण करने के पश्चात् भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.01.2022 एवं पत्र दिनांक 01.11.2022 के द्वारा कतिपय आपत्तियों ⁄ कमियों के निराकरण हेतु ऑनलाईन वापस किया गया, जिसका पूर्ण अनुपालन करते हुये प्रस्ताय ऑनलाईन उच्च स्तर/भारत सरकार को प्रेषित किया गया। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट कराना है कि-एफ0सी0ए0 1980 के तहत अनुमोदन हेतु नये दिशानिर्देश दिनांक 24.01.2022 को जारी किये गये हैं, किन्तु प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वर्ष 2014–15 से स्वीकृति हेतु गतिमान है तथा भारत सरकार स्तर से वांछित सूचना/कतिभय आपत्तियां उक्त दिशानिर्देश के पश्चात की हैं, जिनका पूर्ण अनुपालन किया गया है। अतः संबंधित प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रकरण में कतिपय तकनीकि कठिनाईयों व ऑपचारिकताओं को पूर्ण करने में हुई समस्या एवं विषम परिस्थितियों को दृष्टियगत रखते हुये प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर एक बार पुनः विचार करने की महान कृपा कीजिएगा, ताकि क्षेत्र के खानीय युवाओं को तकनीकी ज्ञान की सहायता से रोजगार एवं स्वरोजगार का अवसर मिल सके और स्थानीय नागरिकों के विकास हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक की खापना की जा सके। संलग्नकः - उपरोक्तानुसार। (04 प्रतियों में) उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग। प्रधानांचार्य, राजकीय पॉलीटैविनक चोपता, रुद्रप्रयाग को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित। -019 संख्या कार्यानय दन प्रारंशक गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड भौड़ी उप वन संरक्षक, 3m रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग। प्राप्ति स० 8053 पत्रीक संदया 12 017 22 EG(1-170) F 27161



ई, मेल :- dforudraprayag @gmail.com फोन/ फैक्स नं० :- 01364 -- 233505:: पता --: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

06/2024 / 12-1 (2) दिनांक पत्रांक– 40 19 20

सेवा में,

वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय– जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत नव सिर्जित राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (कुण्डादानकोट) के भवन निर्माण हेतु 2.00 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में। PROPOSAL NO. - FP/UK/OTHERS/44711/2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार स्तर से वांछित सूचना प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटैक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग ने उनके पत्रांक–82∕भूमि ह0∕2024–25 दिनांक 31.05.2024 के द्वारा निम्न प्रकार प्रेषित किया है, तथा जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन पार्ट–। के additional information detail के क्र0सं0–49 में ऑनलाईन अपलोड किया गया है।

क्र॰सं॰	आपत्ति	निराकरण	
1	उल्लंघन के संबंध में राज्य सरकार से अनुरोध है कि IFA	प्रश्नगत प्रकरण में उल्लंघन के संबंध में संबंधित प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि—	
	1927 के प्रांसगिक प्रावधानों के अनुसार मामले निपटन किया	i- विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर परिवेश पोर्टल पर 31–07–2015 को ऑनलाईन अपलोड किया गया। (संलग्नक–1)	
	जाए। हालांकि, यदि किसी व्यक्ति/प्राधिकरण द्वारा कोई आदेश दिया गया है, तो उसका विवरण प्रदान करने का कष्ट करें ताकि FCA 1980 के तहत कार्यवाही की जा सके।	 ii- जानकारी के अभाव में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत अगस्तयमुनि रेंज ने अपने पत्रांक–260 / 12 दिनांक 23–10–2015 के द्वारा बिना वन भूमि हस्तान्तरण के किये जा रहे निर्माण कार्य पर तत्काल कार्य पर रोक लगाये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया। (संलग्नक–2) iii- संस्था के पत्रांक–362–63 / भूमि हस्तान्तरण विषयक / 2015–16 दिनांक 02.11.2015 के द्वारा निर्माण ऐजेन्सी को निर्माण तत्काल कार्य 	
		रोकने को कहा गया। (संलग्नक–3अ) iv- संस्था के पत्रांक संख्या–372 ⁄ भूमि विषयक ⁄ 2015–16 दिनांक 04–11–2015 के द्वारा उक्त सूचना वन विभाग को प्रेषित की गई। (संलग्नक–3ब)	
		 v- वर्तमान तिथि तक कार्य पूर्ण रूप से रूका हुआ है। vi- निर्माण कार्य संबंधित सूचना कार्यालय के पत्रांक–1304 / 12–1(2) दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक–4) के द्वारा पूर्व में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रेषित की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 को स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विवरण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक–5) तथा परिवेश पोर्टल के पैरा–11 (संलग्नक–6) में अंकित कर ऑनलाईन अपलोड किया गया। 	
		vii- चूंकि प्रस्ताव गठित के बाद निर्माण कार्य अवैध रुप से किया गया था। अतः IFA 1927 में कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी, परन्तु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उल्लंघन संबंधी सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित कर दी गई थी।	

क्रमशः–2 पर

	इसके अतिरिक्त आपको यह भी		इस संबंध में संबंधित प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया
	अवगत कराना है कि दिनांक		कि–
2	24–01–2022 के दिशानिर्देशों के	1.	प्रश्नगत प्रस्ताव हेतु शासनादेश संख्या-790/XLI-1/2013-79/13
	अनुसार एफ0सी0ए0 1980 के तहत		दिनांक 22.08.2013 के द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार
			संचालन हेतु जनपद–रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के
	अनुमोदन पर विचार करने हेतु किसी		अन्तर्गत चोपता (तल्ला नागपुर) नामक स्थान पर राजकीय
	भी non-site specific acitivity		पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना की स्वीकृति की गई।
	प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा		(संलग्नक–7)
	सकता है। दिशानिर्देश इस प्रकार	•	
	8 —	2.	शासनादेश संख्या–1287/XLI-1/2013-107/13 दिनांक 03.03.
	"Utilization of forest area for		2014 के द्वारा उक्त प्रकरण के भवन निर्माण हेतु
	establishing industries,		वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। (संलग्नक–8)
	construction of residential	3.	शासनादेश संख्या-66/XLI-1/2014-11/2014 दिनांक 04.07.2014
	 A subscription of the second se		के द्वारा उक्त नवसृजित राजकीय पॉलीटेक्निक, चोपता में
	colonies, institutes, disposal of		पदों / पाठ्यक्रमों के सृजन / स्वीकृती प्रदान की गयी। (संलग्नक-9)
	fly ash, rehabilitation of	4.	प्रकरण के भवन निर्माण हेतु स्थान चोपता के आसपास गैर वन भूमि
	displaced persons, etc. are non-		की तलाश हेतु कतिपय प्रयास किये गये, किन्तु मानकानुसार गैर
	site specific activities and		वन भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई।
	cannot be considered on forest	5.	प्रधाानाचार्य राजकीय पॉलीटक्निक गौचर नोडल अधिकारी चोपता के
	land as a rule. For that matter,		पत्रांक संख्या—693/नया० पॉली०चोपता/2013—14 दिनांक
	no non-site-specific proposal		18-09-2013 के द्वारा जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग को
	can be entertained for		नवसृजित पॉलीटेक्निक हेतु AICTE के मानकानुसार 2.00 है0 भूमि
	considering approval under the		उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया। (संलग्नक–10)
	FCA 1980. In exceptional	6.	जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग की पत्र
	circumstances, residential	0.	संख्या—2586 / छब्बीस—12 / 2013—14 दिनांक 26—03—2014 के
	projects upto one ha, can be		द्वारा उक्त प्रकरण के निर्माण हेतु चयनित भूमि के संबंध में संस्थान
	considered for approval under		को अवगत कराया गया। (संलग्नक–11)
	FCA 1980 by the MoEF&CC,	7.	उपरोक्तानुसार चयनित भूमि का दिनांक 12–02–2015 को संयुक्त
	subject to appropriate	1.	निरीक्षण कराया गया व निरीक्षणोंपरान्त चयनित भूमि प्रश्नगत प्रकरण
	justification and		
	recommendation hy the	0	के निर्माण हेतु उपयुक्त पाई गयी। (संलग्नक–12)
	concerned state Government	8.	तत्पश्चात् चयनित वन भूमि के समस्त अभिलेख/वन भूमि
	and the Regional Officer of the		हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कराते हुए संबंधितों के हस्ताक्षरोपरान्त
	IRO of MoEFCC."		अन्य औपचारिकता पूर्ण करते हुए दिनांक 31-07-2015 को
			परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड (Proposal No
	उपर्युक्त दिशा निर्देशों के अनुसरण		FP/UK/OTHERS/14241/2015) करते हुये उच्च स्तर को
	में राज्य सरकार से अनुरोध है कि		प्रेषित किया गया। (संलग्नक–13)
	उक्त उद्देश्य हेतु गैर वन भूमि का	9.	जानकारी के अभाव में त्रुटिवश चयनित स्थल पर निर्माण कार्य
	चयन करने का कष्ट करें।		प्रारम्भ किया गया, जिसके निस्तारण/समाधान हेतु अपर सचिव
	ययन करन का कष्ट कर।		उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–912/X–4–18/1(654)/2015
			दिनांक 10—09—2015 के द्वारा दिनांक 05—09—2018 को बैठक
			निर्धारित की गई। (संलग्नक–14)
	-	10.	उक्त निर्धारित तिथि को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार
			प्रस्ताव में समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने (जैसे-दण्डात्मक
	51		क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल 8.00 है0 का चयन, पोर्टल पर तकनीकि
			समस्या आदि) में काफी कठिनाईयां उत्पन्न हुई, जिस कारण लम्बा
			समय व्यतीत हो गया।
		11.	समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये प्रस्ताव पुनः नये सिरे से
			ऑनलाईन उच्च स्तर/भारत सरकार को प्रेषित किया गया।
		12.	तत्पश्चात् भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन
		14.	मंत्रालय देहरादून की पत्र
			संख्या–8बी/यू0सी0पी0/09/140/2021/ एफ0सी0/1373
			दिनांक 27.01.2022 के द्वारा 19 बिन्दु की आपत्तियों के निराकरण
			हेतु प्रस्ताव को ऑनलाईन वापस भेजा गया। (संलग्नक–15)
			פע אלנווע עז שוחמוציו עועה זשו יועון (לומייעי-וס)

क्रमशः—3 पर

(2)

	 13. उक्त आपत्तियों का निराकरण करते हुये संस्था के पत्रांक-209/भूमि ह0/2022-23 दिनांक 03-09-2022 द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 08-09-2022 ऑनलाईन आपलोड करते हुये उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। (संलग्नक-16) 14. पुनः भारत सरकार की पत्र संख्या-8बी/यू0सी0पी0/09/140/2021/एफ0सी0/1056 दिनांक 01-11-2022 के द्वारा 06 आपत्तियों के निराकरण हेतु साथ प्रस्ताव को ऑनलाईन वापस भेजा गया। (संलग्नक-17) 15. उक्त आपत्तियों का पूर्ण निराकरण करते हुये संस्था के पत्रांक-449/भूमि ह0/2022-23 दिनांक 20-02-2023 के द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 21-02-2023 को ऑनलाईन आपलोड करते हुये प्रमागीय कार्यालय को प्रेषित की गई। (संलग्नक-18) 15. उक्त सूचना इस कार्यालय की पत्र संख्या-3043/12-1(2) दिनांक 06.03.2023 के द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 20.93.2023 को ऑनलाईन आपलोड करते हुये प्रमानीड करते हुये जच्च स्तर को प्रेषित की गई। (संलग्नक-19)
	यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 26.04.2023 के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि <u>दिनांक 24.01.2022 के दिशानिर्देशों के</u> अनुसार एफ0सी0ए0 1980 के तहत अनुमोदन पर विचार करने हेतु किसी भी non-site specific activity प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय औपचारितायें पूर्ण करने के पश्चात् भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.01.2022 एवं पत्र दिनांक 01.11.2022 के द्वारा कतिपय आपत्तियों/कमियों के निराकरण हेतु ऑनलाईन वापस किया गया, जिसका पूर्ण अनुपालन करते हुये प्रस्ताव ऑनलाईन उच्च स्तर/भारत सरकार को प्रेषित किया गया।
	उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट कराना है कि <u>-एफ0सी0ए0 1980 के तहत अनुमोदन हेतु नये दिशानिर्देश दिनांक 24.01.2022 को जारी किये गये हैं, किन्तु प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वर्ष 2014-15 से स्वीकृति हेतु गतिमान है तथा भारत सरकार स्तर से वांछित सूचना/कतिपय आपत्तियां उक्त दिशानिर्देश के पश्चात की हैं, जिनका पूर्ण अनुपालन किया गया है।</u>
	अतः संबंधित प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रकरण में कतिपय तकनीकि कठिनाईयों व ऑपचारिकताओं को पूर्ण करने में हुई समस्या एवं विषम परिस्थितियों को दृष्टियगत रखते हुये प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर एक बार पुनः विचार करने की महान कृपा कीजिएगा, ताकि क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को तकनीकी ज्ञान की सहायता से रोजगार एवं स्वरोजगार का अवसर मिल सके और स्थानीय नागरिकों के विकास हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना की जा सके।
संलग्नक :- उपरोक्तानुसार। (04 प्रतियों में)	

भवदीय र्न्यु)

उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या – <u>4-019</u> <u>/दिनांकित।</u> प्रतिलिपि – प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटैक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

मेमन्यु)

उपर्वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग। प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता रूद्रप्रयाग ।

3118 Star 27 प्रेषक, सेवा में,

> उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग।

पत्रांक- 82 / भूमि ह0 / 2024-25

दिनांक 31 मई 2024

विषयः— जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत सृजित राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (कुण्डा दानकोट) में राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता के निर्माण हेतु 2.00 है0 वन भूमि हस्तान्तरण पर पुनर्विचार करने के संबंध में।

संदर्भः– भारत सरकार वन एवँ जलवायु परिवर्तन के पत्र संख्या 8 बी/यू0पी0सी0/09/140/2021/एफ00सी0/74 दिनांक 26–04–2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या 8 बी∕यू0पी0सी0∕09∕140∕2021∕एफ00सी0∕74 दिनांक 26—04—2023 के द्वारा लगायी गई आपत्तियों का निराकरण कर इस पत्र के साथ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

क्र. स.	आपत्ति / कमियाँ	निराकरण	
1.	उल्लंघन के संबंध में राज्य सरकार से अनुरोध है कि IFA 1927 के प्रांसगिक प्रावधानों के अनुसार मामले निपटन किया जाए। हालांकि , यदि किसी व्यक्ति∕प्राधिकरण द्वारा कोई आदेश दिया गया है, तो उसका विवरण प्रदान करने का कष्ट करें ताकि FCA 1980 के तहत कार्यवाही की जा सके।	प्रश्नगत प्रकरण में उल्लंघन के संबंध में अवगत कराना है कि– 1 विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर परिवेश पोर्टल पर 31–07–2015 को ऑनलाईन अपलोड किया गया।(संलग्नक–1) जानकारी के अभाव में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत अगस्तयमुनि रेंज ने अपने पत्रांक 260/12 दिनांक 23–10–2015 के द्वारा बिना वन भूमि हस्तान्तरण के किये जा रहे निर्माण कार्य पर तत्काल कार्य पर रोक लगाये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया। (संलग्नक 02) संख्था के पत्रांक संख्या 362–63/भूमि हस्तान्तरण विषयक/2015–16 दिनांक 02.11.2015 के द्वारा निर्माण ऐजेन्सी को निर्माण तत्काल कार्य रोकने को कहा गया। (संलग्नक 03–34) संख्या के पत्रांक संख्या 372/भूमि विषयक/2015–16 दिनांक 04–11–2015 के द्वारा उक्त सूचना वन विभाग को प्रेषित की गई। (संलग्नक 03–ब) वर्तमान तिथि तक कार्य पूर्ण रूप से रूका हुआ है।	
2.	दिनांक 24–01–2022 के दिशानिर्देशों के अनुसार एफ0सी0ए0 1980 के तहत अनुमोदन पर विचार करने हेतु किसी भी non-site specific acitivity प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है। दिशानिर्देश इस प्रकार है– "Utilization of forest area for establishing industries, construction of residential colonies, institutes, disposal of fly ash, rehabilitation of displaced persons, etc. are non-site specific activities and cannot be considered on forest	 शासनादेश संख्या–790/XLI-1/2013-79/13 दिनांक 22.08.2013 के द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार संचालन हेतु जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्ला नागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना की स्वीकृति की गई। (संलग्नक–4) शासनादेश संख्या–1287/XLI-1/2013-107/13 दिनांक 03.03. 2014 के द्वारा उक्त प्रकरण के भवन निर्माण हेतु वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। (संलग्नक–5) शासनादेश संख्या–66/XLI-1/2014-11/2014 दिनांक 04.07.2014 के द्वारा उक्त नवसृजित राजकीय पॉलीटेक्निक, चोपता में पदों/पाठ्यक्रमों के सृजन/स्वीकृती प्रदान की गयी। (संलग्नक–6) प्रकरण के भवन निर्माण हेतु स्थान चोपता के आसपास गैर वन भूमि की तलाश हेतु कतिपय प्रयास किये गये, किन्तु मानकानुसार गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई। 	

land as a rule. For that matter, no non-site-specific proposal can be entertained for considering approval under the FCA 1980. In exceptional circumstances. residential projects upto one ha, can be considered for approval under FCA 1980 by the MoEF&CC, subject to appropriate iustification and recommendation hy the concerned state Government and the Regional Officer of the IRO of MoEFCC."

उपर्युक्त दिशा निर्देशों के अनुसरण में राज्य सरकार से अनुरोध है कि उक्त उद्देश्य हेतु गैर वन भूमि का चयन करने का कष्ट करें।

- प्रधाानाचार्य राजकीय पॉलीटक्निक गौचर नोडल अधिकारी चोपता के पत्रांक संख्या–693/नया0 पॉली0चोपता/2013–14 दिनांक 18–09–2013 के द्वारा जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग को नवसृजित पॉलीटेक्निक हेतु AICTE के मानकानुसार 2.00 है0 भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया। (संलग्नक–7)
- जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग की पत्र संख्या–2586 / छब्बीस–12 / 2013–14 दिनांक 26–03–2014 के द्वारा उक्त प्रकरण के निर्माण हेतु चयनित भूमि के संबंध में संस्थान को अवगत कराया गया। (संलग्नक–8)
- उपरोक्तानुसार चयनित भूमि का दिनांक 12–02–2015 को संयुक्त निरीक्षण कराया गया व निरीक्षणोंपरान्त चयनित भूमि प्रश्नगत प्रकरण के निर्माण हेतु उपयुक्त पाई गयी। (संलग्नक–9)
- तत्पश्चात् चयनित वन भूमि के समस्त अभिलेख / वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कराते हुए संबंधितों के हस्ताक्षरोपरान्त अन्य औपचारिकता पूर्ण करते हुए दिनांक 31–07–2015 को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड (Proposal No.-FP/UK/OTHERS/14241/2015) करते हुये उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। (संलग्नक–10)
- 9. जानकारी के अभाव में त्रुटिवश चयनित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसके निस्तारण/समाधान हेतु अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–912/X–4–18/1(654)/2015 दिनांक 10–09–2015 के द्वारा दिनांक 05–09–2018 को बैठक निर्धारित की गई। (संलग्नक–11)
- 10. उक्त निर्धारित तिथि को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रस्ताव में समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने (जैसे–दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल 8.00 है0 का चयन, पोर्टल पर तकनीकि समस्या आदि) में काफी कठिनाईयां उत्पन्न हुई, जिस कारण लम्बा समय व्यतीत हो गया।
- समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये प्रस्ताव पुनः नये सिरे से ऑनलाईन उच्च स्तर/भारत सरकार को प्रेषित किया गया।
- 12. तत्पश्चात् भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र संख्या—8बी/यू0सी0पी0/09/140/2021/ एफ0सी0/1373 दिनांक 27.01.2022 के द्वारा 19 आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रस्ताव को ऑनलाईन वापस भेजा गया। (संलग्नक–12)
- उक्त आपत्तियों का निराकरण करते हुये संस्था के पत्रांक–209/भूमि ह0/2022–23 दिनांक 03–09–2022 द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 08–09–2022 ऑनलाईन आपलोड करते हुये उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। (संलग्नक–13)
- 14. पुनः भारत सरकार की पत्र संख्या–8बी/यू0सी0पी0/09/140/ 2021/एफ0सी0/1056 दिनांक 01–11–2022 के द्वारा 06 आपत्तियों के निराकरण हेतु साथ प्रस्ताव को ऑनलाईन वापस भेजा गया। (संलग्नक–14)
- 15. उक्त आपत्तियों का पूर्ण निराकरण करते हुये संस्था के पत्रांक-449/भूमि ह0/2022-23 दिनांक 20-02-2023 के द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 21-02-2023 को ऑनलाईन आपलोड करते हुये उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। (संलग्नक-15)

यह भी अवगत कराना है कि पुनः भारत सरकार के पत्र दिनांक 26.04.2023 के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि दिनांक 24.01.2022 के दिशानिर्देशों के अनुसार एफ0सी0ए0 1980 के तहत अनुमोदन पर विचार करने हेतु किसी भी non-site specific activity प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय औपचारितायें पूर्ण करने के पश्चात् भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.01.2022 एवं पत्र दिनांक 01.11. 2022 के द्वारा कतिपय आपत्तियों / कमियों के निराकरण हेतु ऑनलाईन वापस किया गया, जिसका पूर्ण अनुपालन करते हुये प्रस्ताव ऑनलाईन उच्च स्तर / भारत सरकार को प्रेषित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट कराना है कि एफ0सी0ए0 1980 के तहत अनुमोदन हेतु नये दिशानिर्देश दिनांक 24.01.2022 को जारी किये गये हैं, किन्तु प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वर्ष 2014–15 से स्वीकृति हेतु गतिमान है तथा भारत सरकार स्तर से वांछित सूचना ⁄ कतिपय आपत्तियां उक्त दिशानिर्देश के पश्चात की हैं, जिनका पूर्ण अनुपालन किया गया है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रकरण में कतिपय कठिनाईयों व ऑपचारिकताओं को पूर्ण करने में हुई समस्या एवं विषम परिस्थितियों को दृष्टियगत रखते हुये प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर एक बार पुनः पुनर्विचार करने की महान कृपा कीजिएगा, ताकि क्षेत्र के ख्थानीय युवाओं को तकनीकी ज्ञान की सहायता से रोजगार एवं स्वरोजगार का अवसर मिल सके और स्थानीय नागरिकों के विकास हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना की जा सके।

र्सलम्बा ! दात्याएंतहामाम्रात उपराजनारसार

भवदीय. (अनुराग नैथानी समन्वयक / प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेविनक षोपता रुद्रप्रयाग

To Do Eo Stronnint

9/29/2015 (81 unread) - gpchopta123 - Yahoo Mail A 11000 Mail Search News Sports Finance Weather Games

Delete

been found to be complete in all respect.

5. Name of the Applicant with Contact Details

3. Category of the Proposal

4. Date of Submission

CC monitoring-fc@nic.in

1. Proposal No.

Name

2. Proposal Name

C Move .

Email Alert From System Administrator of Online...

😨 Sparn 🗸

FP/UK/Others/14241/2015

: Construction of Govt Polytechnic Chopt

Answers

Screen FUCKI Try Manuo-Mail on Firefox

Home

apchopta.

Q

Inbox (81)

alts (16)

Sp.am (1)

li ash

Smart Views Important

> Unread People

Social

Travel

hopping

Looking for Mr Right?

Find the right match Shaadi com - Join Now

Mobile No. : 9412126488 State : Uttarakhand District : Rudraprayag : 246442 Pincode 6. Area Applied (ha.) : 2

A proposal seeking prior approval of Central Government under the (Conservation) Act 1980, as per the details given below, has been examined

Nodal Officer, Forest (conservation) Act, 1980, Government of Uttarakhand a

: Others

: Anil

: 31/07/2015

Please provide duly signed hard copy of the above proposal along with all necessary enclosures to the office of the each concerned Divisional Forest O and the District Collector and upload a copy of the acknowledgement slip(s (single pdf file) as per the format given below, obtained from each of the ab authorities, on portal of this Ministry for further processing of the above pro

> (System Admin T29105 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

Acknowledgement Slip

: FP/UK/Others/14241/2015

: Construction of Govt Polytechnic Chopt

रुद्रप्रयाग

This is to certify that hard copy of the proposal seeking prior approval of (Government under the Forest (Conservation) Act 1980, as per details given along with all necessary enclosures has been received in the Office of the Uttara on 31/07/2015.

: Others

: Anil

: 2

: 9412126488

: 31/07/2015

- 1. Proposal No.
- 2. Proposal Name
- 3. Category of the Proposal
- 4. Date of Submission
- 5. Name of the User Agency with Contact Details

Name Mobile No. : Uttarakhand State District : Rudraprayag : 246442 Pincode

6. Area Applied (ha.)

201

30 20 रुद्र भुझाना बतुन प्रभाग रुद्रप्रयाग

*** This is a system generated email, please do not reply. ***

Reply, Reply All or Forward | More

Click to Neply, Reply All or Forward

कार्यालय लग हमेशाधिकारी अभस्तमूना नन के आ संलग्म क. чэла 260 / 12 таны 23-10-2015 - स्ताज () मधाना-सोधा ्राध्याः। निमा मुफि हर्तान्तर्ता के भवन निर्धाशाः ---- द्वाप द्वारा - विना आही हर्तान्तर्घ के आवन किमीत्रा कारा करराया (जार रहा ट), जाप हारा हारा स्वरिंग आधि किया कारा कर हा रहा ट), जाप हारा हारा सरेंग्रा खाधि किया भग हे जाता स्वर्ग कार्या भग हे जाता स्वर्ग कार्या कार्या भग हो जाता के किया जाता के किया भग हो जाता के किया जाता है। ्रमा रूस राजिन के तल होने प्रकार प्राप्त रोज हो जाव कि म्लभारण काथ तमा रूस राजिन के तल हराजा रोज रोजन्द सिंह नेजी हतरा भा तमा राजन कि जात हता , पार्ट्त पर्णर की खाणन निर्माहा काय विन राजन क्रमा राज्य राज राज्य राज राज की खाणन निर्माह काय विन ्राह्य हन्द्रता, तहन् नजहा, तहन् नहन् हि जाताः ज्ञाय स्पार्थ करे कि जाम द्वारा कान पंत्राधत मार्ग पन् निना मून स्थाकृति के बनों अवन निर्भाषा गर्मना - जाया ह # जा िल्लारी मानित्ति - स्ट्रीन्भान उप वान सर्हतक रुद्ध्या वन्य मन्म्यभाग नगे सेता जे र्जनामा हा रहन आत्मव्यक कार्यवाह्य होते. देवी सेता, 1 BULFATHIA

3(9)

प्रेषक,

प्रधानाचार्य राजकीय पालिटेक्निक चोपता (रुद्रप्रयाग)

सेवा में ,

प्रोजेक्ट मेनेजर उ०प्र० निर्माण निगम लि० यूनिट –1 देहरादून

पत्रांक 362/63भूमि हस्तान्तरण विषयक / 2015–16 / दिनांक 2/n/15 विषय– विना भूमि हस्तान्तरण के भवन निर्माण कार्य रोके जाने विषयक । महोदय,

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्यमुनि वन क्षेत्र के पत्रांक 260/12 दिनांक 23/10/2015(पत्र की फोटो प्रति संलग्नक) के अनुपालन में अवगत कराना है कि आप द्वारा प्रस्तावित भूमि पर भूमि हस्तान्तरण से पूर्व भवन निर्माण कार्य कराया जा रहा है । जो कि वन संरक्षक अधिनियम 1980 का उल्लघन है पूर्व मे भी आपको कार्यालय राजकीय पालिटेक्निक चोपता के पत्रांक संख्या 341/भूमि हस्तान्तरण विषयक/2015–16/दिनांक 7/10/2015 द्वारा अवगत कराया जा चुका है ।

अतः प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य तुरन्त रोक दिया जाये तथा प्रस्तावित भूमि विभाग को हस्तान्तरित होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये ।

संलग्नक –उपरोक्तानुसार ।

प्रक्षंनाचार्य

(अनुराग नैथानी) राजकीयाधालिस्किर्मक चोपता राजकीय फक्रिप्रेकेमक चोपता (ठद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

पृ०स० / भूमि हस्तान्तरण विषयक / 2015–16 / दिनांक ,प्रतिलिपि – निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड श्रीनगर गढवाल को सूचनार्थ ।

> ज्ञ्यानाचार्य काम्र पॉलीटेविव केपला रज्यप्रयाग

प्रधानाचार्य (अनुराग नैथानी) राजकीय पालिटेक्निक चोपता रुद्रप्रयाग प्रेषक.

प्रधानाचार्य राजकीय पालिटेविनक चोपता रुद्रप्रयाग

सेवा में.

वन क्षेत्राधिकारी अगस्तम्नि

41115 दिनांक पत्राक 372-773 भूमि विषयक / 2015-16/ विषय- राजकीय पालिटेक्निक निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक 260/12 दिनांक 23/10/2015 महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि चयंकित निर्माण कार्य उ०प्र0निर्माण निगम लि० यूनिट-1 देहरादून द्वारा वृक्ष विहीन भूमि पर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठन करने के पश्चात प्रारम्भ किया गया था। उक्त भूमि राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन होने एव वृक्षो के बाधक न होने के कारण जानकरी के अभाव में कार्य प्रारम्भ किया गया । इस आश्य की जानकारी प्राप्त होने पर कि उक्त भूमि पर वन संरक्षण नियम लागू होता है प्रोजेक्टर मेनेजर उ०प्र0निर्माण निगम लि० यूनिट—1 देहरादून को तत्काल कार्य बन्द करने को कहा गया है। विधिवत स्वीकृति के पश्चात ही प्रस्तावित स्थल पर कार्य किया जायेगा ।

धन्यवाद।

Hadda

राजकीय पालिटेक्निक चोपता रुद्रप्रयाग

OFFOY

दिनांक

भूमि विषयक / 2015-16/ ्रतिलिपि- उपवन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रधानाचार्य

राजकीय पालिटेक्निक चोपता



ई, मेल - dforudraprayag@gmail.com फोन/ फैक्स २०:- 01364 - 233505:: पता --: माई की गवी निकट जवाडी सहंपास सडप्रवान

कार्यालय उप वन शरक्षक, २५व्रप्रयांश वन प्रभाश, २५व्रप्रयांग।

पत्रांक 1304 / 12-1(2) दिनांक 5-11 /2015::

सेवा में

वन संरक्षक, गढ़वाल यृत्त उत्तराखण्ड, पौडी।

विषय :-- प्रस्तावित राजकीय पॉलिटैक्निक चोपता के भवन निर्माण हेतु वन मूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।

महोदय

CIC

उपरोवत विषयक प्रकरण के क्रम में अवगत कराना है कि सम्यन्धित विभाग द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव उक्त विषयक हेतु ऑन लाईन कर दिया गया है, वन भूमि हस्तान्तरण की पूर्वानुमति के बिना ही सम्बन्धित विभाग द्वारा भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जानकारी प्राप्त होने पर वन क्षेत्राधिकारी, अगस्त्यमुनि 'द्वारा उनके पत्रांक–260/12 दिनांक 23.10.2015 से प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटैक्निक, चोपता को तत्काल कार्य बन्द कराने हेतु नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटैक्निक, चोपता को तत्काल कार्य बन्द कराने हेतु नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटैक्निक, चोपता द्वारा उनके पत्रांक– 372/भूमि विषयक–2015–16 दिनांक 04.11.2015 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित स्थल राजस्व भूमि/9(ख)–2 तथा वहां पर कोई जंगल न होने के कारण उनके द्वारा जानकारी के अभाव में कार्य प्रारम्भ किया गया था, जिसे उनके द्वारा रोक दिया गया है।

प्रथम दृष्टया प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटैक्निक, चोपता द्वारा जानकारी के अभाव होने की बात सही प्रतीत होती है। प्रधानाचार्य के कार्य वन्द करने से भी यह परिलक्षित होता है कि उनके द्वारा जानबूझकर वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंधन नहीं किया गया है।

अतः सादर.अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में यथोचित दिशा-निर्देश देने का कष्ट करें।

ादीय न सरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग।

प्रपत्र-5

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF (for the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Principal Govt. Polytechnic Chopta, (Rudraprayag) Uttarakhand (for diversion under FCA-1980) of 2.00 hac. of forest land for nonforestry purpose. The project envisages the use of forest land for Construction of Govt. Polytechnic Chopta, (Rudraprayag) Uttarakhand. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated - 06-11-2015.

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/unclassed/Other forests measuring 2.00 hac. (Civil Land)

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. Yes

Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- No

Whether any protected archeological /heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.- No

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. No

The proposed site was inspected by me on dated 06-11-2015. The construction has been proposed on four khasras - 3308, 3319, 4059 & 4158 and out of these four khasras user agency has started work on Khasra No - 4158 related to foundation and pillar erection. For this notice has been issued to User Agency and they have stopped the work.

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. Yes

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal. <u>Recommend in the Public Interest.</u>

Place:- Rudraprayag

Date - 06-11-2015

(Signatule) Name - (Raj Dhiman) Designation -Office Seal 120203


रोलाग्नन -

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx Out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

Report Part 2



PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : UK-0690/2015

1. Location of the project/Scheme : Uttarakhand

- (i) State / Union Territory : Uttarakhand
- (1) District : Rudraprayag
- (til) Forest Division : Rudraprayag
- (iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.) : 2
- (v) Category : Others

2. Legal status of forest land proposed for diversion :

\$. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Rudraprayag	2	Revenue Forest

Division 1. : Rudraprayag					
listrict wise area to b	e diverted in the division :				
S. No.	District		Area(ha.)		
1	Rudraprayag		2		
Details of Vegetation a	available in the forest land proposed for div	rersion :	_		
S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class		
1	2	0.1	Eco 5		

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Pinus roxburghii	Chir	2	1	1	2	2
2	Misc. Species	、Surayi	1	0	1	0	0

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion :

The area proposed for diversion is Revenue forest. Working Plan for such forests is not prepared.

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : no erosion pron zone.

7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) : 1.85

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view ;

- Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : Ghurad, (i). Kakad, Guldar etc.
- Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, (íi). elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No

Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ)

of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act, 1972 (Note: In case, ESZ of a (iii). Protected Area is not notified, then, 10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No

Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiper reserve, elephant

Report Part 2

etails of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if iy :						
(i). Whether any Important mo	protected archa	eological/heritage site/defence e ed in the area : No	stablishment or any other			
0. Comment as to the reason	ability of the extent	of the forest land proposed for diversion :				
(i). Whether the bare minimum	(i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project ; Yes					
1. Details of violation(s), if any ,committed :						
(i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out ; Yes						
(a)Details of	(a)Details of violation(s): No Data					
(b) Period of	Work done(year	r): 2015	`			
(c) Area of f	orest land involv	ed in violation (in ha.) : 0.111				
S. Name of person No. viola		Designation & Address of person responsible for violation	Action taken against the person responsible for violation			
1 Official of U P I Nigam Ltd Nirma	Rajkiya Nirman n Unit Dehradun	Project Manager U P Rajkiya Nirma Nigam Ltd Nirman Unit Dehradun	n Notice issued and work was stopped.			
 12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No): Xear that No 13. Details of compensatory afforestation scheme : (ii). Total Financial Outlay for C.A: 837464.00 (iii). Whether the land identified by User Agency is suitable for CA and from managementpoint of view?: Yes (iv). 						
	Copy of certificate regarding sultability of land identified for CA and from management point of view: T (v). Copy of detailed CA scheme including species to be planted, implementing agency, time schedule, cost structure etc.:					
Additional information	Details :					
S. No.		Documents	Remarks			
		NIL				

14. District Profile :

έų. Υ

R

District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	since	Cases				B) Non- forest land (in ha.)
Rudraprayag	198400.00	179099.50	578.991	151	1129.614	06/11/2015	256.066	873 548
	Name	District area of the district (in ha.)	District area of the district (in ha.) Rudraprayag 198400.00 179099.50	District area of the district (in ha.) Rudraprayag 198400.00 179099.50 578.991	District area of the district (in ha.) Approved district since Cases (in ha.) Rudraprayag 198400.00 179099.50 578.991 151	District Namearea of the district (in ha.)area of the district (in ha.)area of the diverted since (in ha.)area diverted Approved Cases Cases C.A. (in ha.)Rudraprayag198400.00179099.50578.9911511129.614	District Namearea of the district (in ha.)area of the district (in ha.)area diverted since (in ha.)No. of diverted Approved Casesincluding penal C.A. (in ha.)compensatory afforestation as on(date)Rudraprayag198400.00179099.50578.9911511129.61406/11/2015	District Namearea of the district (in ha.)area of the district (in ha.)area of the diverted since (in ha.)area Approved Casesincluding penal C.A. (in ha.)compensatory afforestation afforestation ha.)Forest land (in ha.)Rudraprayag198400.00179099.50578.9911511129.61406/11/2015256.066

15. Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land :

	Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visit	Site inspection report	Date of visit
	NO Data						
(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II,III & Part IV))							
	16. Specific reco	meudat			and a second second	Part II, III & Part IV)	1

16. Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptors or other-state of the

Attachment No-7 AICIE FALAR d Zen441

(6)

संख्या- 790/XLI-1/2013-79/13

प्रेषक,

231

राकेश शर्मा, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुमाग

सेवा में

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्ताराखण्ड, श्रीनगर गढवाल।

देहरादूनः दिनांकः22अगस्त. 2013

विषय-

जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसमा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय.

उपर्युवत विषयक शासन द्वारा सम्यक विवारोपरान्त जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केंदारनाथ के अन्तर्गत योपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पॉलीटेयिनक संस्थान की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। उयस संस्थान ए०आई०सी०र्टा०ई० के मानकानुसार संचालित किया जायेगा।

अतः इस सम्बन्ध में नुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया 2-ए०आई०सी०टी०ई० के मानकानुसार 15 दिन के भीतर भूमि, भवन, पाठयक्रम एवं पदों का औवित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन में उपलब्ध कराना सनिश्चित करें।

भवदीय,

(राकेश शमी) अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक-यथोपरि।

प्रतिलिपिः निग्नलिखित को सूचनार्थ एवं आधश्यक कार्यवाडी हेत् प्रेथित – सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उस्तराखण्ड शासन।

- 1,
- जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को इस आशय के साथ प्रेषित कि पॉलीटेविनक संख्यानों की 2. स्थापना हेतु शहरी क्षेत्रों में 2.5 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। अल सम्बन्धित स्थान को दृष्टिगत रखते हुये तत्काल निःशुल्क भूमि का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु।
- 3. अध्यक्ष, ए०आई०सी०टी०ई०, नई दिल्ली।

Characteristic Education (Asia) (Asia) Investment and a the Investment and the

- एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादन। . 4.
- गार्ड फाइल। 5

शालकीय पॉलीटेविनक वोपता रुद्रप्रयाग

(शैलेश धर्गौली) अपर सचिव।

Attachment No- P

संख्या-1287/XLI-1/2013-107/

प्रेषक.

राकेश शर्मा. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदे शक प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, श्रीनगर गढवाल।

विषय:--

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 0 3 :मार्च, 2014 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के अनावासीय भवनों के निर्माण हे धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय.

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है f श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 2 राजकीय पॉलीटैक्निक संस्थानों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु उ०प्र०राजकीय निर्माण निग देहरादून द्वारा संकलित रूप से गठित विस्तृत आगणन ₹6195.22 लाख के सापेक्ष टी०ए०सी द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत∕अनुमोदित आगणन सिविल कार्य हेतु–₹765.62 लाख तथ उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो हेतु रैं5346.69 लार अर्थात कुल ₹6112.31 लाख (रूपये इकसठ करोड़ बारह लाख इकतीस हजार मात्र) व प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये, ₹1441.35 लाख (रूपये चौदह करोः इकतालीस लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुये व्यय करने व सहर्ष स्वीकृति अधोल्लिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:---

क0	in the second seco					
र्स0	का नाम	सिविल कार्य	अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य	कल संस्त		
1	. 2	3	. 4	5		
1	3. 1	36.34	245.03	281.37		
2.	गापेश्वर (चमोली)	43.17	285.89	329.06		
3.	बड़कोट(उत्तरकाशी)	40.57	288.20	328.77		
14.	पंतनगर (उधमसिंहनगर)	32.80	237.09	269.89		
5.	यौनलिया(अल्मोड़ा)	38.28	279.94	318.22		
6.	मल्लासालम (अल्मोड़ा)	38.28	287.02	325.30		
17.	गरूड़ (बागेश्वर)	40.31	267.45	307.76		
18.	काण्डा(बागेश्वर)	40.31	266.99	307.30		
9.	कुलसारी (चमोली)	41.94	294.51	336.45		
10.	पोखरी (चमोली)	41.55	281.13	322.68		
	गैरसैण(चमोली)	39.41	295.28	334.69		
12.	जाखणीधार (टिहरी)	38.30	257.99	296.29		
13	ओखला प्रतापनगर (टिहरी)	41.34	289.60	330.94		
14.	गजा (टिहरी)	36.32	248.95	285.27		
15.	भलरचागाज (हरिद्वार)	34.42	235.47	269.89		
16.	खटीमा(उधमसिंहनगर)	33.03	236.86	269.89		
	टनकपुर (चम्पावत)	33.03	236.86	269.89		
	दनिया (अल्मोड़ा)	37.50	277.58	315.08		



1	2	3	.4	5.
19.	चोपता (रुद्रप्रयाग)	40.14	303.54	343.68
20.	क्वांसी चकराता (देहरादून)	38.58	231.31	269.89
20.	कल योग-	765.62	5346.69	6112.31

--2--

3 RIGO

(1) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिव स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

- (2) कार्य पद मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गर्य है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- (3) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एव लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्ठियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य क सम्पादित करना सनिश्चित करें।
- (4) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
- (5) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (6) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।
- (7) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य रथल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।
- (8) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनदेश सं0-2047 / XIV-219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत ओदशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कडाई से पालन करने का कष्ट करें।
- (9) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करते हुये भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब की दशा में आंगणन पुनरीक्षित पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-475 / XXVII(7) / 2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपन्न पर कार्यदायी संख्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के संबंध में थर्ड पार्टी चंकिंग की व्यवस्था की जाय जिसके सापेक्ष होने वाला व्यय देय सेन्टेज चार्जेज के सापेक्ष वहन किया जायेगा।
- (11) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (12) मैंदानी क्षेत्र में प्रस्तावित 6 पॉलीटेक्निक यथा रा०पा० पंतनगर (उधमसिंहनगर), रा०पा० भलरवागाज (हरिद्वार), रा०पा० खटीमा (उधमसिंहनगर) तथा रा०पा० टनकपुर (चम्पावत) मैदानी क्षेत्र में हैं, इनमें प्रशासनिक भवन, प्रयोगशालाओं को सिविल स्ट्रक्चर में तथा क्लास रूम आदि को Pre engineering structure में तैयार कराया जायेगेा। यदि सिविल कार्य से लागत में वृद्धि होती है, तो उसे टी०ए०सी० से पुनः परीक्षण करा लिया जायेगा। जबकि अन्य पॉलीटैक्निक Pre engineered structure में ही तैयार कराया जाये।

(13) याजार में Pre engineered structure Set के अलग-अलग मॉडल उपलब्ध हैं इसमें किसी एक मॉडल न लगा कर कई प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाले अच्छे मॉडल के लगाया जाये, ताकि भविष्य में इनकी गुणवत्ता का तुलनात्मक मूल्यांकन किया ज सके।

--- 3 ---

- (14) सभी संस्थानों के भवनों के Common space/street light में L.E.D. light का प्राविधान किया जायेगा तथा Power backup के लिये Generator set का प्राविधान भी कर लिया जाये।
- (15) निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व प्रथम चरण के सभी सुसंगत प्रक्रियात्मक कार्यो को पूर्ण करा लिया जाये।
- (16) निर्माण कार्य समय पर पूर्ण हो तथा Cost over run ना हो, यह सुनिष्टिचत कर लिया जाये।
- (17) उपरोक्त तालिका में अंकित राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के अनावासीय भवन निर्माण हेतु निम्न तालिकानुसार पूर्व में स्वीकृत / अवमुक्त धनराशि का वर्तमान में प्रस्तावित प्री-इंजीनियर्ड तकनीकी के आधार पर किये जाने के फलस्वरूप आगणित द धनराशि में समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाये:--

(धनराशि लाख रूपये में)

6)

		्यगतारा लाख रूपय म		
क0स0	संस्थान का नाम	स्वीकृत धनराशि		
1. ~	रा0पा0 दनिया	8.94		
2 .		- 9.73		
3. 🗸	रा0पा0 खटीमा	9.73		
4. 🗸	रा०पा० सतपुली	7.45		
5.	रा०पा० प्रतापनगर	25.00		
	रा0पा0 गजा	9.73		
	रा0पा0चकराता क्वांसी	9.73		
8	राठपाठ गैरसैण	9.73		
9. 🗸	रा0पा0 गरूड	66.67		

- (18) विशेष आयोजनागत सहायता के अन्तर्गत आच्छादित राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के भवन निर्माण कार्य हेतु धनराशि राज्यांश/केन्द्रांश के आधार पर आवंटित की जायेगी।
- (19) प्रश्नगत निर्माण कार्यों की निरन्तर समीक्षा कर मासिक प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

2. प्रश्नगत कार्य हेतु टी०ए०सी० द्वारा संस्तुत आगणन की एक प्रति आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–02–तकनीकी शिक्षा–104–बहुशिल्प–आयोजनागत–03–राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरूष/महिला) भवन निर्माण/सुदृढ़ीकरण–00–24–वृह्त निर्माण कार्य मद'' के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—260(P)/XXVII(3)/2013—14 दिनॉक 28 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं। संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय

(राकेश शर्मा) अपर मुख्य सचिव।

----- 1

118 D

साख्या <u>एव विनाक उपरायता</u> प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः— 1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून। 2. सम्वन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड। 3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून। संख्या एवं दिनॉक उपरोक्त।

...4---

- 4. कोषाधिकारी, श्रीनगर।
- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 देहरादून।
- सम्बन्धित प्रधानाचार्य/समन्वयक, राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान, उत्तराखण्ड।

- वित्त अनुभाग–3 / नियोजन अनुभाग।
 एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
 बजट राजकोषीय प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10. गार्ड फाइल।


फ्लाएस0टो लिया) उप सचिव।

राजकीय वालारीवेचा षोपता रुद्रप्रयाग

Attachment No.

EV393755268

संख्या: 66 /XLI-1/2014-11/2014



- निदेशक.

प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, श्रीनगर गढवाल।

आगंगर गढ्वाल।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुमाग—1 देहरादून : दिनांक : CA-जुलाई, 2014 विषय: नव स्थापित एवं पूर्व से स्थापित राजकीय पॉलीटेविनक संस्थानों हेतु नई मांग के माध्यम से पदों/पाद्यक्रमों के सृजन/स्वीकृति के संबंध में। महोदय.

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रियान्वयन एवं पर्वतीय/सीमान्त क्षेत्रों तथा अन्य स्थानों में यथावश्यकता मांग के आधार पर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि कर छात्र—छात्राओं को रोजगारोन्मुख बनाये जाने के दुष्टिगत प्रदेश के विभिन्न स्थानों में भिन्न–भिन्न शासनादेशों के माध्यम से राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त पूर्व से स्थापित कतिपय संस्थानों में निर्धारित मानकों के अनुसार पदों का सृजन न होने तथा शैक्षिक कार्य में कठिनाई उत्पन्न होने के कारण अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाना आवश्यक है।

2- अतः उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड राज्य में नवरथापित राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों हेतु परिशिष्ठ-1 के अनुसार स्वीकृत पादयक्रमों को संचालित किये जाने हेतु शैक्षिक तथा शिक्षणेत्तर संवर्ग के 352पद एवं पूर्व से स्थापित पॉलीटेक्निक संस्थानों हेतु परिशिष्ठ- 2 के अनुसार अतिरिक्त 489पद अर्थात कुल 841 (आठ सौ इकतालीस पद) (759 अस्थायी पद तथा 82 आऊटसोर्सिंग द्वारा भरे जाने वाले पद) पदों को शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिनांक 28.02.2015 तक की अवधि, बशर्त कि ये इसके पूर्व ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाएं, के लिये सृजित/स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपरोक्त अस्थायी पदों के सृजन के फलस्वरूव तद्विषयक संवर्ग में अस्थायी अभिवृद्धि के रूप में माने जायेंगे। आऊटसोर्सिंग के माध्यम से स्वीकृत किये जा रहे पदों पर कार्य सम्पादन उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों के आलोक में कार्यवाही कर सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपरोक्त अस्थायी सृजित पदों पर उक्त पद के वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार अनुमन्य किये गये महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

6— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 23(P)/XXVII(3)/ 2014—15 दिनांक 02.7.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं। संलग्न : यथोपरि।

> राजसीय पॉलीटेविंग जेपना रहप्रयाग

Pandey-2014/Letter

भवदीय. राकेश शमा) अपर मुख्य सचिव।

क्रमशः

संख्या : 66 (1) / XLI(1) / 2014 तद्दिनांक।

- प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--
- 1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
- महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
- 3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / कुमाऊँ मण्डल।
- 4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 5. निजी सचिव, मा. तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड।
- 6. जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, पिथौरागढ़ / बागेश्वर / चम्पावत / चमोली / देहरादून / ऊधमसिंहनगर / टिहरी / उत्तरकाशी / अल्मोड़ा / नैनीताल / हरिद्वार / पौडी।
- 7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादन।
- 8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढवाल।
- 9. वित्त अधिकारी, जी. बी. पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज, घुड़दोड़ी (पौड़ी गढवाल)।
- बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादन।
- 11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
- 12. राष्ट्रीय सूचना प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राकेश शर्मा) अपर मुख्य सचिव।

Pandey-2014/Letter

- 80 -

शासनादेश संख्या : 66/XLI-1/2014-11/2014 दिनांक : 04 जुलाई, 2014 का परिशिष्ठ-1 नव स्थापित पॉलीटेक्निक संस्थानों हेतु सृजित पदों का विवरण-

Ì

(1) राजकीय पालीटेक्निक पॉबो, पौडी,गढवाल-स्वीकृत पाठ्यकमों के नाम-

क्र0 सं0 (01)	पदनाम	य 2. कम्प्यूटर साइंर वेतनमान∕ग्रेड वेत्तन	सूजित पदो की संख्या
1) (02) प्रधानाचार्य	(03)	(04)
2	विभागाध्यक्ष, विद्युत इंजीनियरिंग	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-7600	I I
3		₹15600-39100,ग्रेडवेतन-6600	1
4	विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस इजी०	₹15600-39100,ग्रंडवेतन-6600	1
5	विभागाध्यक्ष, बेसिक साइंस	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-6600	1
6	व्याख्याता, विद्युत इजीनियरिंग	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-5400	3
7	व्याख्याता. कम्प्यूटर साइंस इजी०	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-5400	3
8	व्याख्याता,गणित व्याख्याता,भौतिकी	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-5400	1
9		₹15600-39100,ग्रेडवेतन-5400	1
10	व्यारेख्याता,रसायन व्याख्याता अंग्रेजी	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	1
11	कर्मशाला अनुदेशक	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-5400	
124112	प्रधान सहायक	₹9300-34800, ग्रेडवेतन-4200	3
	वैयक्तिक सहायक	₹9300-34800, ग्रेडवेतन-4200	
4	पुरतकालयाध्यक्ष	₹5200-20200. ग्रेडवेतन-2800	1
5 7	अरिष्ठ सहायक	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
6 7	गस्यूटर प्रोग्रामर	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
	ग्निष्ठ सहायक	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	
	भूमछ सहायक षरासी	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2000	
	ग्रेपर,पार्ट टाइम	(आउट सोर्स)	2
1	VICTIC CISH	(आउट सोर्स)	21 1000
100 A.		योग-	
	6	and the second	27

(2) राजकीय पालीटेक्निक बॉसबगड,तल्लाजौहर-स्वीकृत पाठ्यकमों के नाम-

NO	पदनाम	2. इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	
La la		वेतनमान/ग्रेड वेतन	सृजित पदो
(01)	UZ		की संख्या
1	प्रधानाचार्य	(03)	(04)
2	विमागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-7600	1
3	विभागाध्यक्ष, इलैक्ट्रानिक्स	र15600-39100,ग्रेडवेतन-6600	
	इंजीनियरिंग	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-6600	
1	विभागाध्यक्ष, बेसिक साइस		
5	व्याख्याता, सिविल इंजीनियरिंग	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-6600	
	व्याख्याता, इलैक्ट्रानिक्स	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-5400	
Sec.	इंजीनियरिंग	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-5400	3
1	द्याख्याता, गणित	100, 100(11-5400	3
1	arealar, indd	₹15600-39100,ग्रेंडवेतन-5400	

- 81 -

(7) राजकीय पालीटेक्निक चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी-स्वीकृत पाठ्यकमों के नाम-

क्र0 सं0	पदनाम	वैतनमान/ग्रेड वेतन	प तीन वर्षीय सृजित पदो की संख्या
(01)	(02)	(03)	(04)
1	प्रधानाचार्य	₹15600-39100.ग्रेडवेतन-7600	1
2	विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-6600	1
3	विभागाध्यक्ष, विद्युत इंजीनियरिग	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-6600	1
4	विभागाध्यक्ष, बेसिक साइंस्	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-6600	1
5	व्याख्याता, सिविल इंजीनियरिग	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-5400	3 .
6	व्याख्याता, विद्युत इंजीनियरिग	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-5400	3.
7	व्याख्याता,गणित	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-5400	1
8	व्याख्याता,भौतिकी	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-5400	1
9	व्याख्याता,रसायन	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-5400	1
10	व्याख्याता अंग्रेजी	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-5400	1
11	कर्मशाला अनुदेशक	₹9300-34800, ग्रेडवेतन-4200	3
12	प्रध्नान सहायक	₹9300-34800, ग्रेडवेतन-4200	1
13	वैयवित्तक सहायक	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
14	पुरतकालयाध्यक्ष	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
15	वरिष्ठ सहायक	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
16	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
17	सहीयक लेखाकार	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
8	क्तिष्ठ सहायक	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2000	2
9	वप्रासी	(आउट सोर्स)	2
0	स्वीपुर,पार्ट टाइम	(आउट सोर्स)	1.
		योग-	28

2

8) राजकी	य पालीटेविनक	चोपत	।। रुद्रप्रयाग–
	द्यकमों के न		

Pan

1. सिविल' इंजीनियरिंग तीन वर्षीय		2. फार्मेसी दो वर्षीय	
क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान / ग्रेंड वेतन	सृजित पदों की संख्या
(01)	(02)	(03)	(04)
1	प्रधानाचार्य	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-7600	1.
2	विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिग	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-6600	1
3	विभागाध्यक्ष, बेसिक साइंस	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-6600	1_
4	व्याख्याता, सिविल इंजीनियरिंग	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-5400	3
5	व्याख्याता, फार्मेसी	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-5400	5 -
6	व्याख्याता,गणित	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-5400	1-
7	व्याख्याता,भौतिकी	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-5400	1
8	व्यांख्याता,रसायन	₹15600-39100,प्रेडवेतन-5400	1_
9	व्यांख्याता अंग्रेजी	₹15600-39100,येडवेतन-5400	1
10	कर्मशाला अनुदेशक	₹9300-34800, ग्रेडवेतन-4200	3-
11	प्रध्रान सहायक	₹9300-34800, ग्रेडचेतन-4200	1 *
12	वैयक्तिक सहायक	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1.
13	पुरतेकालयाध्यक्ष	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1-
ndey-20	14/Letter	- 85 -	

क्र0 रां0	ः. पदनाम	वेतनमान/ग्रेड वेतन	सृजित पदों की संख्या
(01)	(02)	(03)	(04)
14	वरिष्ठ सहायक	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
15	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1.
16	सहायक लेखाकार	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	
17	कनिष्ठ सहायक	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2000	2 -
18	चपरासी	(आउट सोर्स)	
19	स्वीपर,पार्ट टाइम	(आउट सोर्स)	2
1		योग-	29

0

(9) राजकीय पॉलीटेक्निक बङखेत,रिखडीखाल,पौडी,गढवाल-स्वीकृत पाठ्यकमों के नाम-

क्र0 सं0 (01)	• पदनाम	वर्षीय 2- इलैक्ट्रानिक्स इंजीनि वेतनमान∕ग्रंड वेतन	सृजित पदो की संख्या
1	, (02) प्रधानाचार्य	(03)	(04)
2		₹15600-39100,ग्रेडवेतन-7600	1-1-
3	विश्रीगाध्यक्ष, विद्युत इंजीनियरिंग	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-6600	1
4	विभागाध्यक्ष, इलैक्ट्रानिक्स इजीनियरिंग	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-6600	1
4	विभागाध्यक्ष, बेसिक साइंस	₹15600-39100 ग्रेडयेतन-6600	······································
5	व्यांख्याता विद्युत इंजीनियरिंग	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	1
6	व्यांख्याता इलैक्ट्रानिक्स	₹15000 -39100, 133464-5400	З,
1.1.1.1.1.1	इजीनियरिंग	₹15600-39100, येडवेतन-5400	3
7	व्याख्याता,गणित	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-5400	<u> New York (New York)</u>
8	व्याख्याता,भौतिकी	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	1
9	व्याख्याता,रसायन	₹15600-30100 35404-5400	1
10	व्याख्याता अंग्रेजी	₹15600-39100,येडयेतन-5400	1
11	कर्मशाला अनुदेशक	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-6400	1
	प्रधान सहायक	₹9300-34800, ग्रेडवेतन-4200	3
3	वैय्वित्तक सहायक	₹9300-34800, ग्रेडवेतन-4200	1
	रतकालयाध्यक्ष	₹5200-20200, ग्रेडचेतन-2800	1
5 व	रिष्ठ सहायक	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
े व	ग्म्यूटर प्रोग्रामर	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
	हायक लेखाकार	₹5200-20200, ग्रेडयेतन-2800	1
क	निष्ठ सहायक	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
	परासी	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2000	2
	गिपर,पार्ट टाइम	(आउट सास)	2
		(आउट सोर्स)	1
the second	and the second	योग-	28

(10) राजकीय पालीटेक्निक भीमताल, नैनीताल-स्वीकृत पाठ्यकमों के नाग-1. सिविल इजीo तीन वर्षीय

राजकीय पॉलीटेविजी षोपता रुद्यावळ

संव	पदनाम	येतनमान/ग्रेड वेतन	स्जित पतों
(01)	(02)	the second s	की संख्या
1	प्रधानाचार्य	(03)	(04)
2 Maria	the second s	₹15600-39100,ग्रेडवेतन-7600	1

प्रेषक,

प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक गौचर (चमोली)।

सेवा में

जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग।

पंत्राक ६९३ / नया०पाली० चोपता / २०१३–१४ महोदय

पू०सं० 694-95/नया०पाली० चोपता/2013-14

1- उपजिलाधिकारी सदर रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

शासनादेश सं० 790/XLI-1/2013–79/13 दिनांक 22 अगस्त 2013 द्वारा रूद्रप्रयाग के चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पालीटेक्निक संस्थान की स्थापना किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। ए०आई०सी०टी०ई० मानकों के अनुसार 5.00 एकड़ भूमि निशुल्क की आवश्यकता होगी इस भूमि पर कोई धार्मिक स्थल, श्मशान घाट विद्युत की लाइन, वन भूमि जिसमें वृक्ष आदि न हों का प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का केंड्ट करें। यदि स्थानीय काश्तकार अपनी भूमि संस्था हेतु दान में उपलब्ध कराना चाहें, ऐसी भूमि का प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कूपा करें।

2- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड, श्रीनगर गढ़वाल।

(सुनील कुमा

गौचर mug)

भवदीय

(सुनीलं कुमार) प्रधानाचार्यः

Altachment No- 0

तददिनांक

/ छे दिनांक

सितग्वर 2013

प्रेषक.

प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक गौचर (चमोली)।

/ नया0पाली0 चोपता / 2013-14

सेवा में.

जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग ।

पंत्राक महोदय,

शासनादेश सं० 790/XLI-1/2013-79/13 दिनांक 22 अगस्त 2013 द्वारा रूद्रप्रयाग के चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पालीटेक्निक संस्थान की स्थापना किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। ए0आई0सी0टी0ई0 मानकों के अनुसार 5.00 एकड़ भूमि निशुल्क की आवश्यकता होगी इस भूमि पर कोई धार्मिक स्थल, श्मशान घाट विद्युत की लाइन, वन भूमि जिसमें वृक्ष आदि न हों का प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का केंस्ट करें। यदि स्थानीय काश्तकार अपनी भूमि संस्था हेतु दान में उपलब्ध कराना चाहें, ऐसी भूमि का प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कूपा करें।

भवदीय (सुनील कुमार) प्रधानाचार्य

दिनांक सितम्वर 2013

तददिनांक

पू0सं0 **८९४ - १**5 / नया०पाली० चोपता / 2013–14 प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । 1– उपजिलाधिकारी सदर रूद्रप्रयाग ।

2- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड, श्रीनगर गढ़वाल।

(सुनील कुमार) प्रधानाचार्य SITT I

THR (R) al. acula 122101E 191222 23/09/13

राजकीय पॉलीटेविनम्ठ बोपता राइप्रयाज

Attachment No .

कार्यालय संख्या-2586 / छब्बीस-12

जिलाधिकारी, (2012–13) दि

रूद्रप्रयाग । दिनांक 26 मार्च 2014

प्रेषित,

प्रधानाचार्य, राजकीय पालिटेक्निक, गौचर (चमोली)।

विषयः–

स्थान चोपता (कुण्डादानकोट) जनपद रूद्रप्रयाग में राजकीय पालिटेक्निक संस्थान की स्थापना हेतु भूमि चयन के सम्बन्ध में।

महोदय.

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक—1156 / स्था0 / नव सृजित पाली0 / 2013—14 दिनांक 09—01—2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो स्थान चोपता (कुण्डादानकोट) जनपद रुद्रप्रयाग में राजकीय पालिटेक्निक संस्थान की स्थापना हेतु भूमि चयन के सम्बन्ध में है।

उक्त कम में अवगत कराना है कि, ज़नपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक संस्थान की स्थापना हेतु ग्राम कुण्डादानकोट में भूमि चयनित कर प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड़ शासन, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग, देहरादून को प्रेषित किया गया था। पूर्व में चयनित भूमि में केवल 12.5 नाली भूमि उपयोगी होने से स्थान चोपता (कुण्डादानकोट) जनपद रूद्रप्रयाग में राजकीय पालिटेक्निक संस्थान की स्थापना हेतु पुनः ग्राम कुण्डादानकोट राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र चोपता जाखणी, तहसील व जनपद रूद्रप्रयाग के ज0 वि0 र0 ख0 खा0 सं0–36 खसरा नं0–3319 मध्ये 0.700 हे0, खसरा नं0–4059 मध्ये 0.800 हे0, खसरा नं0–4158 मध्ये 0.400 हे0, श्रेणी 9 (ख) 2 अन्य प्रकार के वृक्ष झाडियों के समूह व लम्बी घास, ख0 खा0 सं0–47 खसरा नं0–3308 मध्ये 0.100 हे0, श्रेणी 10 (4) अन्य कारणों से अकृषिक भूमि कुल रकबा 2.000 हे0 चयनित की गई है। चयनित भूमि चोपता–स्वांरी ग्वांस मोटर मार्ग पर स्थित है। पालिटेक्निक संस्थान की स्थापना हेतु पुनः भूमि का चयन आपकी उपस्थिति में किया गया है।

अतः स्थान चोपता (कुण्डादानकोट) जनपद रूद्रप्रयाग में राजकीय पालिटेक्निक संस्थान की स्थापना हेतु भूमि चयनित भूमि का नक्शा, खसरा, खतौनी मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

संलग्न- उक्तानुसार

3

AL OCULIO

(आर0 के0 गोयल), प्र0 अपर जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग ।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

उत्तराखण्ड सरकार शासनादेश संख्या 790/XLI-1/2013-79/13 दिनांक 22 अगस्त 2013 के द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग के स्थान चोपता (तल्ला नागपुर) में राजकीय पॉलिटेक्निक की स्वीकृत प्राप्त होने पर इस पॉलिटेक्निक के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु राजस्व ग्राम कुण्डा दानकोट की सीमान्तर्गत सरकार केशर हिन्द नम्बर 3308,3319,4158 एवं 4059 मब्ये कुल हैक्टेयर भूमि चयनित की गयी है ।

जिलाधिकारी महोदय रूद्रप्रयाग के पत्रांक संख्या 1229 / छब्बीस 12(2012-13) दिनांक 27 जनवरी 2015 के अनुपालन में आज दिनांक 12-02-2015 को चयनित भूमि का संयुक्त निरीक्षण याचक विभाग के प्रतिनिधि श्री ए०के०एस० गौड़, प्रधानाचार्य / समन्वयक राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता (रूद्रप्रयाग) के साथ वन विभाग के प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र सिंह नेगी, वन दरोगा घितोली, श्री लक्ष्मी प्रसाद मैठाणी राजस्व उप निरीक्षक चोपता के साथ श्री एम०एल० भेतवाल तहसीलदार रूद्रप्रयाग द्वारा किया गया । संयुक्त निरीक्षण में चयनित भूमि प्रस्तावित प्रयोजन हेतु उपयुक्त एवं उचित पायी गयी है ।

उपरोक्त प्रस्तावित भूमि में 10 से 70 सेमी0 गोलाई के 9 पेड़ चीड़ के तथा 10 से 40 से0मी0 गोलाई के दो पेड़ सुरई के स्थित होने पाये गये । वनक्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रति संलग्न है ।

अतः रिपोर्ट मौके पर कर आग्रेम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

Attachment No-12

उपजिलाधिकारी रूद्रप्रयाग

(राजेन्द्र सिंह (नेगी) वन दरोगा धिमतोली

(ए०के०एस० गौड)

प्रक्षानाचार्य

रागपात चोपली कटपेखाग (रुद्वप्रयाग) उत्तराखण्ड

(एम०एल० भेतवाल) तहसीलदार रूद्रप्रयाग

(लक्ष्मी प्रसाद मैठाणी)

राजस्व उप निरीक्षक

चोपता

MAD उप प्रभागीय बनाधिकारी रुद्रप्रयाग

In Ar In

विश्वना खहवरात

वन विभाग रूद्रप्रयाग

		Attack	ment	No . 13
	64 10 10	- I al al		15
9/7_2015		(81 unread) - gpchopta123 - Yahoo Mail		
A has stard free	arch News Spons Filtence	Weidlare Lattict Answers Surene Fletc	Mob 🛃 Try Vistmo-J	Mail on Facility a
in the second se			- de riene	anchulu 🚺
4 2 5 8 8 8 8	1		B.B. Courter of	and the second sec
e Criminar		xers Øispacio in tKerso∳iš X		
Integx (81)	Email Alert From System			
Tradit (Sk)	to group and optimization	Administrator of Online		
	CC monitoring-fc@nic.in			
21,0177 (] *				
Tree and	A proposal seeking prior a	pproval of Central Government under the		
Traces Serves	(Conservation) Act 1980, as pe	r the details given below, has been examined ation) Act, 1980, Government of Uttarakhand a		
	been found to be complete in al	ll respect.		
2:0:0ac ¹	1. Proposal No. 2. Proposal Name	FP/UK Others/14241/2015		
	3. Category of the Proposal	: Construction of Govt Polytechnic Chopt : Others		
-Strict	4. Date of Submission	: 31/07/2015		
	5. Name of the Applicant w			
	Name Mobile No.	: Anil : 9412126488		
$\mathcal{D} = (k - i \bar{k}) \int_{\bar{\mathcal{D}}} dv dv$	State	: Utta:akhand		
Bernad	District Pincode	Rudraprayag		
2 I J	6. Area Applied (ha.)	: 246442 : 2		
Sponsared		2 *		
Cet A	Please provide duly signed h	ard copy of the above proposal along with all		
s and the the time second The Construction of the second	necessary enclosures to the of	ffice of the each concerned Divisional Forest O I upload a copy of the acknowledgement slip(s		
tio stoli stata – znarolaju.	(single pdf file) as per the for	mat given below, obtained from each of the ab		
	autionties, on portal of this M	Ministry for further processing of the above pri		
		Va		
		(System Admin 12810)		
	A	cknowledgement Slip		
		िर्मयम्		
	This is to certify that hard copy Government under the Forest (C	Conservation) Act 1980, as per details given		
	Government under the Forest (C	or the proposal seeking prior approval of (Conservation) Act 1980, as per details given as been received in the Office of the Uttare		
	along with all necessary enclosure	Conservation) Act 1980, as per details given		
	covernment under the Forest (C along with all necessary enclosure on 31/07/2015. 1. Proposal No. 2. Proposal Name	Conservation) Act 1980, as per details given as has been received in the Office of the Uttare : FP/UK/Others/14241/2015 : Construction of Govt Polytechnic Chopt		
	Covernment under the Forest (C along with all necessary enclosure on 31/07/2015. 1. Proposal No. 2. Proposal Name 3. Category of the Proposal	Conservation) Act 1980, as per details given 28 has been received in the Office of the Uttars : FP ₂ UK/Others/14241/2015 : Construction of Govt Polytechnic Chopt . Others		
	covernment under the Forest (C along with all necessary enclosure on 31/07/2015. 1. Proposal No. 2. Proposal Name	Conservation) Act 1980, as per details given as has been received in the Office of the Uttars : FP/UK/Others/14241/2015 : Construction of Govt Polytechnic Chopt . Others : 31/07/2015		
	Covernment under the Forest (C along with all necessary enclosure on 31/07/2015. 1. Proposal No. 2. Proposal Name 3. Category of the Proposal 4. Date of Submission 5. Name of the User Agency w Name	Conservation) Act 1980, as per details given as has been received in the Office of the Uttars : FP/UK/Others/14241/2015 : Construction of Govt Polytechnic Chopt . Others : 31/07/2015		
	 Government under the Forest (C along with all necessary enclosure on 31/07/2015. 1. Proposal No. 2. Proposal Name 3. Category of the Proposal 4. Date of Submission 5. Name of the User Agency w Name Mobile No. 	Conservation) Act 1980, as per details given as has been received in the Office of the Uttars : FP/UK/Others/14241/2015 : Construction of Govt Polytechnic Chopt . Others : 31/07/2015 //the Contact Details : Acill : 9412126488		
	Covernment under the Forest (C along with all necessary enclosure on 31/07/2015. 1. Proposal No. 2. Proposal Name 3. Category of the Proposal 4. Date of Submission 5. Name of the User Agency w Name	Conservation) Act 1980, as per details given as has been received in the Office of the Uttara : FP/UK/Others/14241/2015 : Construction of Govt Polytechnic Chopt . Others : 31/07/2015 //the Contact Details : Acil		
	Covernment under the Forest (C along with all necessary enclosure on 31/07/2015. 1. Proposal Name 3. Category of the Proposal 4. Date of Submission 5. Name of the User Agency w Name Mobile No. State District Pincode	 Jonservation) Act 1980, as per details given as has been received in the Office of the Uttar; FP/UK/Others/14241/2015 Construction of Govt Polytechnic Chopt Others 31/07/2015 /ith Contact Details Acill 9412126488 Uttarakhand Rudraprayag 246442 		
	Covernment under the Forest (C along with all necessary enclosure on 31/07/2015. 1. Proposal No. 2. Proposal Name 3. Category of the Proposal 4. Date of Submission 5. Name of the User Agency w Name Mobile No. State District	Conservation) Act 1980, as per details given as has been received in the Office of the Uttare : FP/UK/Others/14241/2015 : Construction of Govt Polytechnic Chopt . Others : 31/07/2015 //th Contact Details : &c.il : 9412126488 : Uttarakhand : Rudraprayag		
	Covernment under the Forest (C along with all necessary enclosure on 31/07/2015. 1. Proposal Name 3. Category of the Proposal 4. Date of Submission 5. Name of the User Agency w Name Mobile No. State District Pincode	 Jonservation) Act 1980, as per details given as has been received in the Office of the Uttar; FP/UK/Others/14241/2015 Construction of Govt Polytechnic Chopt Others 31/07/2015 /ith Contact Details Acill 9412126488 Uttarakhand Rudraprayag 246442 		
	Covernment under the Forest (C along with all necessary enclosure on 31/07/2015. 1. Proposal Name 3. Category of the Proposal 4. Date of Submission 5. Name of the User Agency w Name Mobile No. State District Pincode	Conservation) Act 1980, as per details given as has been received in the Office of the Uttars : FP/UK/Others/14241/2015 : Construction of Govt Polytechnic Chopt . Others : 31/07/2015 //th Contact Details : Acill : 9412126488 : Uttarakhand : Rudraprayag : 246442 2		
4	Covernment under the Forest (C along with all necessary enclosure on 31/07/2015. 1. Proposal Name 3. Category of the Proposal 4. Date of Submission 5. Name of the User Agency w Name Mobile No. State District Pincode	Conservation) Act 1980, as per details given as has been received in the Office of the Uttars : FP/UK/Others/14241/2015 : Construction of Govt Polytechnic Chopt . Others : 31/07/2015 //th Contact Details : Acill : 9412126488 : Uttarakhand : Rudraprayag : 246442 2 3U CIGNTERIO		
9	Covernment under the Forest (C along with all necessary enclosure on 31/07/2015. 1. Proposal Name 3. Category of the Proposal 4. Date of Submission 5. Name of the User Agency w Name Mobile No. State District Pincode	Conservation) Act 1980, as per details given as has been received in the Office of the Uttars : FP/UK/Others/14241/2015 : Construction of Govt Polytechnic Chopt . Others : 31/07/2015 //th Contact Details : Acill : 9412126488 : Uttarakhand : Rudraprayag : 246442 2 3U CIGNTERIO		
9	Covernment under the Forest (C along with all necessary enclosure on 31/07/2015. 1. Proposal Name 3. Category of the Proposal 4. Date of Submission 5. Name of the User Agency w Name Mobile No. State District Pincode 6. Area Applied (ha.)	conservation) Act 1980, as per details given as has been received in the Office of the Uttare : FP/UK/Others/14241/2015 : Construction of Govt Polytechnic Chopt Others : 31/07/2015 : Actil : Actil : 9112126488 : Uttarakhand : Rudraprayag : 246442 2 : 2 : 30 : 20 : 30 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2		
	Covernment under the Forest (C along with all necessary enclosure on 31/07/2015. 1. Proposal Name 3. Category of the Proposal 4. Date of Submission 5. Name of the User Agency w Name Mobile No. State District Pincode 6. Area Applied (ha.)	Conservation) Act 1980, as per details given as has been received in the Office of the Uttars : FP/UK/Others/14241/2015 : Construction of Govt Polytechnic Chopt . Others : 31/07/2015 //th Contact Details : Acill : 9412126488 : Uttarakhand : Rudraprayog : 246442 : 2 : SUC Construction : SUC Construction :		
	Covernment under the Forest (C along with all necessary enclosure on 31/07/2015. 1. Proposal Name 3. Category of the Proposal 4. Date of Submission 5. Name of the User Agency w Name Mobile No. State District Pincode 6. Area Applied (ha.) **** This is a system ge	conservation) Act 1980, as per details given as has been received in the Office of the Uttare : FP/UK/Others/14241/2015 : Construction of Govt Polytechnic Chopt Others : 31/07/2015 : Actil : Actil : 9112126488 : Uttarakhand : Rudraprayag : 246442 2 : 2 : 30 : 20 : 30 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2		
	Covernment under the Forest (C along with all necessary enclosure on 31/07/2015. 1. Proposal Name 3. Category of the Proposal 4. Date of Submission 5. Name of the User Agency w Name Mobile No. State District Pincode 6. Area Applied (ha.)	conservation) Act 1980, as per details given as has been received in the Office of the Uttare : FP/UK/Others/14241/2015 : Construction of Govt Polytechnic Chopt Others : 31/07/2015 : Actil : Actil : 9112126488 : Uttarakhand : Rudraprayag : 246442 2 : 2 : 30 : 20 : 30 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2		
	Covernment under the Forest (C along with all necessary enclosure on 31/07/2015. 1. Proposal Name 3. Category of the Proposal 4. Date of Submission 5. Name of the User Agency w Name Mobile No. State District Pincode 6. Area Applied (ha.) **** This is a system ge Reply, Reply All or Forward More	conservation) Act 1980, as per details given as has been received in the Office of the Uttare : FP/UK/Others/14241/2015 : Construction of Govt Polytechnic Chopt Others : 31/07/2015 : Actil : Actil : 9112126488 : Uttarakhand : Rudraprayag : 246442 2 : 2 : 30 : 20 : 30 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2		
	Covernment under the Forest (C along with all necessary enclosure on 31/07/2015. 1. Proposal Name 3. Category of the Proposal 4. Date of Submission 5. Name of the User Agency w Name Mobile No. State District Pincode 6. Area Applied (ha.) **** This is a system ge	conservation) Act 1980, as per details given as has been received in the Office of the Uttare : FP/UK/Others/14241/2015 : Construction of Govt Polytechnic Chopt Others : 31/07/2015 : Actil : Actil : 9112126488 : Uttarakhand : Rudraprayag : 246442 2 : 2 : 30 : 20 : 30 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2		
	Covernment under the Forest (C along with all necessary enclosure on 31/07/2015. 1. Proposal Name 3. Category of the Proposal 4. Date of Submission 5. Name of the User Agency w Name Mobile No. State District Pincode 6. Area Applied (ha.) **** This is a system ge Reply, Reply All or Forward More	conservation) Act 1980, as per details given as has been received in the Office of the Uttare : FP/UK/Others/14241/2015 : Construction of Govt Polytechnic Chopt Others : 31/07/2015 : Actil : Actil : 9112126488 : Uttarakhand : Rudraprayag : 246442 2 : 2 : 30 : 20 : 30 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2		
	Covernment under the Forest (C along with all necessary enclosure on 31/07/2015. 1. Proposal Name 3. Category of the Proposal 4. Date of Submission 5. Name of the User Agency w Name Mobile No. State District Pincode 6. Area Applied (ha.) *** This is a system ge Reply, Reply All or Forward More	construction of Govt Polytechnic Chopt : FP/UK/Others/14241/2015 : Construction of Govt Polytechnic Chopt : Others : 31/07/2015 //th Contact Details : Acil : 9412126488 : Utarakhand : Rudraprayag : 246442 2 : Sur यज पारसिक : प्रमाण : Sur यज पारसिक : Sur यज Sur		
	Covernment under the Forest (C along with all necessary enclosure on 31/07/2015. 1. Proposal Name 3. Category of the Proposal 4. Date of Submission 5. Name of the User Agency w Name Mobile No. State District Pincode 6. Area Applied (ha.) *** This is a system ge Reply, Reply All or Forward More	conservation) Act 1980, as per details given as has been received in the Office of the Uttare : FP/UK/Others/14241/2015 : Construction of Govt Polytechnic Chopt Others : 31/07/2015 : Actil : Actil : 9112126488 : Uttarakhand : Rudraprayag : 246442 2 : 2 : 30 : 20 : 30 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2		1/1
	Covernment under the Forest (C along with all necessary enclosure on 31/07/2015. 1. Proposal Name 3. Category of the Proposal 4. Date of Submission 5. Name of the User Agency w Name Mobile No. State District Pincode 6. Area Applied (ha.) *** This is a system ge Reply, Reply All or Forward More	construction of Govt Polytechnic Chopt : FP/UK/Others/14241/2015 : Construction of Govt Polytechnic Chopt : Others : 31/07/2015 //th Contact Details : Acil : 9412126488 : Utarakhand : Rudraprayag : 246442 2 : Sur यज पारसिक : प्रमाण : Sur यज पारसिक : Sur यज Sur		1/1
	Covernment under the Forest (C along with all necessary enclosure on 31/07/2015. 1. Proposal Name 3. Category of the Proposal 4. Date of Submission 5. Name of the User Agency w Name Mobile No. State District Pincode 6. Area Applied (ha.) *** This is a system ge Reply, Reply All or Forward More	construction of Govt Polytechnic Chopt : FP/UK/Others/14241/2015 : Construction of Govt Polytechnic Chopt : Others : 31/07/2015 //th Contact Details : Acil : 9412126488 : Utarakhand : Rudraprayag : 246442 2 : Sur यज पारसिक : प्रमाण : Sur यज पारसिक : Sur यज Sur		1/1

प्रेषक,

प्रधानाचार्य राजकीय पालिटेक्निक चोपता

सेवा में,

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड । श्रीनगर (गढवाल) ।

पत्रांक २५२ / भूमि हस्तान्तरण विषयक / 2015–16 / दिनांक 3/२/२/२०१५ विषय – नव सृजित राजकीय पालिटेक्निक चोपता प्रस्तावित भूमि हस्तान्तरण कराये जाने विषयक। महोदय,

आपके पत्रांक 1375–79/नि0प्रा0शि0/प्लान छः–51/2015–16/दिनांक 27 जुलाई 2015 के अनुपालन में अवगत कराना है कि नव सृजित राजकीय पालिटेक्निक चोपता हेतु भूमि हस्तान्तरण पत्रावलियां 9/7/2015 जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त 9/7/2015 को ही प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग व उप वनसंरक्षक वनप्रभाग रुद्रप्रयाग के हस्ताक्षर कराने हेतु 9/7/2015 को वनविभाग रुद्रप्रयाग के कार्यालय को प्राप्त करायी गयी ।

महोदय दिनांक 28/7/2015 को अद्योहस्ताक्षरी द्वारा भूमि हस्तान्तरण पत्रावलियां हस्ताक्षरोपरान्त वनप्रभाग रुद्रप्रयाग के कार्यालय से प्राप्त की गयी तथा दिनांक 29/07/2015 को Forest clerance हेतु संस्था को वनविभाग की बेब साइट पर रजिस्टर किया गया और प्रस्ताव संख्या FP/UK/Others/14241/2015 के Home page पर Form-A डाटा भरते हुए भूमि हस्तान्तरण पत्रावलियो के समस्त प्रपन्न उचित स्थान पर डाउनलोड किए गये। आज दिनांक 31/7/2015 को भूमि इप्तान्तरण प्रस्ताव संख्या FP/UK/Others/14241/2015 को अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद sumiit कर दिया गया

महोदय को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्नक —1 —प्रभागीय वनविभाग अधिकारी रुद्रप्रयाग भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्राप्त कराने समबन्धी पत्र 2—वनविभाग की बेब साइट पर संस्था को रजिस्टर करने संम्बन्धी Acknowledgement की छाया प्रति।

3– प्रस्ताव sumiit करने का प्रमाण ।

प्रतिलिपि—प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी भूमि—भवन (गढवाल क्षेत्र) राजकीय पालिटेक्निक आमवाला देहरादून

प्रधाननायाय प्रजम्हीय पॉलीटेविनक घोपता रजदप्रयाग

प्रधानाचार्य

प्रधानाचाय ए०के०एस गौड राजकीय पालिटकिनक चोपता राजकीय पालिटकिनक चोपता (रूद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक of सितम्बर, 2013 को जनपद—रूद्रप्रयाग में राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता के निर्माण हेतु 2.00 हे0 वन भूमि का गैर वानिको कार्यों हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति निम्नवत रही:-

1. श्री अरविन्द सिंह हयांकी, सचिव वन एव पर्यातरण, उत्तराखण्ड शासन।

- 2. ओं सुभाष चन्द्र, अपर सचिव धन एवं पर्यावरण, जन्तराखण्ड शासन
- 3. औ रीता काण्डपाल, साखिगकी आधिकारी, यन संग्रेक्षण भूमि संरक्षण निवंशालय वंडराइन।

राजकीय पॉलीटेक्निक सोपता, जिला-फलप्रधाग हो निर्माण के लिए 2.00 हैं0 वन भूमि का पन दानिको कार्यों के लिए इस्तानारण किया जाना है। इस संश्वन्ध में वर्ष–2018 में ऑनलाईन प्रस्ताद अपलंदर किया गया था किन्तु तत्वाध्य इसमें यह आपत्ति लगा कि विभाग झारा अनुमाते प्राप्त किये बिना ही कार्य प्राप्तम अल निरा गया। उप बन संरक्षक, संद्रप्रयाग डापा तत्संबंधी आपत्ति ऑनलाईन अपलंख कर दी गयी।

यतमान में उस आपलित का निराकरण जरने की अपेक्षा उचित यहां होगा कि नये सिर से उन भूमि हा हस्तानगरण प्रस्ताव अपलोब किया जाय। Porest (Conservation) Act. 1980 के सम्बन्ध में भाषन जरकार जात स्पर्वटोकरण नियम (Guidelines & Clarifications) के फिंदु संख्या—4.3 (II) के अन्तर्गत Penal Compansatory ऑपर्रहstation का प्राविधान है। अतः विभाग के स्वार से Penal Compensatory afforestation के इस प्राविधान के अन्तर्गत Penal Compensatory afforestation दिलवा दिया जाय ताकि प्रस्ताव आसाने से बिना किसी जापतिन के पारित हा सके। तव्नुसार कार्यवाही यथाशीक्ष किये जाने के निर्वध दिये गये।

अंत में बैठक का संधन्यबाद समापन किया गया।

(डॉ. रणबीर सिंह) जपर मध्य संचिव

Hachment No- 4

उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग–4 संख्या : 912/४–५–१८/1(८८४)/२०१८ इं.टरादून : दिनॉक /ें0 सितम्बर, 2018

प्रतिलिपिः निम्नॉकित को सूचनार्थं ५वं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेवितः – 1. सचिव, वन एवं पर्यं उत्तराखण्ड शालनः 2. अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण कोरेस्ट कालोनी इंदिरा भगर, देशः

> (सुमार्थ चन्द्र) अपर्थ यन्द्र)



आरत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून 25 सुमाव रोड, देहरादून-248001 दूरमाषः 0135-2650809 फैक्स-0135-2653010 ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUM 25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001 PHONE- 0135-2650809 FAX- 0135-2653010 Email- moef.ddn@gov.in फाईल संख्या ८वी./यू.सी.पी./09/140/2021/एफ0 सी0/1373

दिनांक: 07 /01/2022

tachmon?

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजकीय पॉलिटेक्निक, चोपता के निर्माण हेतु 2.00 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु राजकीय पॉलिटेविनक, चोपता, रूद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No.

सन्दर्भः-कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक -1192/FP/UK/ Others/44711/2020 दिनांक 12-11-2021

महोदय

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई रायी। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्य, सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:--

1. It is seen that the proposal is for non-site specific activity. State Govt is requested to submit the proposal in view of the guideline para 1.15.

2. On perusal of the KML file of the proposed area, there appears to be sufficient non-forest land in the vicinity so a compelling justification for locating the college in forest patch is not clearly given. Further, it seems that the polygons in the KMI. file are drawn very casually and is not based on field recording of latitude/ longitude. As a result the area proposed for the diversion comes to 0.54 ha which is far less than 2.00 ha. The State

- Government is requested to remark the diversion area on KML file. 3. If the area proposed for diversion is taken in more than one patch, it is requested to
- submit the layout plan and activity details of each polygon/ patch separately. 4. It is also noticed that three patches of proposed area selected for college which are fer
- from each other. State Govt is requested to clarify this in detail and provide the 5. Building is already constructed in one patch as per KML file. No details of the same

submitted in the justification or in State Govt proposal. State Govt is requested to submit

6. Digital map for the proposed area is not found uploaded. State govt is requested to upload the geo-referenced digital map of the area proposed for diversion at para C in Part I.

ना राष्ट्रपुरा

l'age i Ji a

- 7. It is seen that 11 trees proposed for enumeration. State Govt is requested to clarify whether the same are required to be cut or not.
- 8. Details of all components not mentioned at para B 2.4 in Part I. State Govt may upload the detail so all the components proposed in the proposal at para B 2.4 in component wise breakup.
- 9. Requirement of the building in the forest area not justified in the justification. Instead of justifying locating the project in forest area, benefits of the college submitted in the justification. State Govt may upload the justification for locating the project in forest
- 10. Details of alternative explored not uploaded online at para D (ii) (a), which may be done.
- 11. Permanent employment mentioned as 0 at Para E in Part I. State Govt is requested to clarify the same.
- 12. Sub-Divisional Level Committee (SDLC) meeting proceedings uploaded online is found incomplete. Further, the date is also not mentioned in the Sub-Divisional Level Committee proceedings. State Govt may upload the complete SDLC meeting proceedings with date.
- 13. FRA of DM for non-linear category is not found uploaded, which may uploaded.
- 14. It is seen that 8 ha area selected for CA against 2 ha area proposed for diversion. Further, in one document it is mentioned that 8 ha area is selected for Penal CA State Govt may submit a detailed report if any violation found in the proposal.
- 15. "Others" is mentioned at present owner at para L (iv) (c). State Govt may submit
- 16. CA scheme, aerial distance, NPV sheet, tree enumeration list and land schedule uploaded in Part II, para 13 are not clear. State Govt is requested to upload these originally scanned documents in PDF as additional information documents.
- 17. Name of the area mentioned in CA scheme is 'Swari', however in other documents it is mentioned as 'Gorna'. State Govt may clarify this discrepancy and provide correct
- 18. Date of tree counting is not mentioned in the tree enumeration list. State Govt may submit the Tree enumeration list mentioning the date of tree counting.
- 19. Administrative approval, land schedule, muck disposal plan, bar chart, geologist report and work not start certificate not found uploaded online or opening error. State Govt is requested to upload these originally scanned documents in PDF as additional information documents.

उपरोक्त त्रृटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय

(टी० सी० नौटियाल)

उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :--1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(टी० सी० नौटियाल) उप महानिरीक्षक, वन (ले०)

Page 2 of 2

प्रेषक

प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग।

सेवा में,

उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग.

रुद्रप्रयाग ।

पत्रांकः—209 /भूमि ह0/2022—23 दिनांकः 03 सितम्बर 2022 विषयः—संस्था के भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति विषयक ।

Attachment No-16

सन्दर्भः—(01) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र सं० 8बी. /यू.सी.पी./09/140/2021/एफ0सी0/1373 दिनांक 27/01/2022 ।

(02) कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्राक 410 / FP/UK/Others/44711/2020 दिनांक 08 अगस्त,2022 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संस्था के वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में हस्तांतरित होने वाली वन भूमि के एवज् में कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के फाइल सं० 8बी/यू, सी.पी./09/140/2021/एफ 0सी0/1373 दिनांक 27/01/2022 एवं कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्राक 410/FP/UK/Others/44711/2020दिनांक 08 अगस्त, 2022द्वारा प्रेषित पत्र में बिन्दु संख्या–1 एवं बिन्दु संख्या 14 के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी है। उक्त बिन्दुओं की सूचना जिनका निराकरण कर इस पत्र से साथ प्रेषित किया जा रहा है ।

अतः उक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

<u>क</u> 0 स0	आपत्ति / कमियाँ	निराकरण
1.	It is seen that the proposal is for non-site specific activity. State govt. is requested to submit the proposal in view of the guideline para 1.15.	गया है एवं प्रस्ताव को guideline para 1.15 के अनुसार

वोपता रुद्रपुरा

		द्वारा प्रमाणित''परियोजना के निर्माण हेतु अन्यत्र उपयुक्त २ उपलब्ध न होने'' का प्रमाण पत्र भी तैयार किया गया जो द पत्र के साथ प्रेषित किया जा रहा है उपरोक्त से सम्बन्धित प्र
		ऑनलाइन पोर्टल के पार्ट 1 में additionaldocumentके कम 15,18 एवं 43 में अपलोड कर दिया गया है ।
2.	It is seen that 8 ha area selected for CA against 2 ha area proposed for diversion.	उपरोक्त आपत्ति का निराकरण उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग प्रभाग, रुद्रप्रयाग के स्तर से किया जाना है ।
	Further, in one document it is mentioned that 8 ha area is selected for penal CA. State	
	Govt. may submit a detailed report if any violation found in the proposal.	
2 (4 34 5	e Staarman Ber	
y	41	भवदीय,
ک	(1) 22 3 (70 973) (70 973)	भवदीय, (तपन अरोडा) समन्वयक / प्रधानाचार्य

प्रस्टनाचार राजकीय पॉलीटेविवक द्वीपसा रुप्रप्रकरण

Find messages, documents, photos or peo Advanter ← Back 🖏 🖓 sè 疆 Anchille - 隋 Move Dislate: 😳 Spain Email Alert From System Yahoo Mail/inbox Inbox 135 Administrator of Online monitoring-fc@nic.ia Unread Submission and Monitoring of Starred noraloring-loginal Forests Clearances Add to employs Proposal(OSMFCP) portal Drafts Sent monitoring-fc@nic.in <monito Thu: Sep 8 at 8:33 PM Archive Te: gpchopta123@yahoo.com Cc: monitoring-fc@nic.in, Spam monitoring-fc@nic in Trash ~ Less This is to acknowledge that a proposal seeking prior approval of Central Go under the Forest (Conservation) Act 1980 as per the details given below successfully reuploaded on the portal of the Ministry of Environment, F Climate Change Government of India. New Delhi -Dubai Jaipur - New Delhi Views Hide 12.950 Photos 1. Proposal No. : FP/UK/Others/44711/2020 Documents Book Now Book How CONSTRUCTION OF GOVERNMEN POLYTECHNIC CHOPTA 2. Proposal Name Subscriptions KAYAK® Flight Deals 3. Category of the Proposal Others KAYAN CO.I Shopping 4. Date of Submission : 29/02/2020 🔅 Receipts 5. Name of the Applicant with Contact Details - Travel Name : Tapan Mobile No. : 9997709333 Folders Show State : Uttarakhand District : Rudraprayag New Delhi -Pincode Jaipur - New : 246-1-12 Dubai Delhi 6. Area Applied (ha.) Book Now Book Now The same has been forwarded to DFO for the processing

KAYAK® Flight Deals

ajan Lig Bisis J 160 মা তার্য্রায়া

3

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून 25 सुभाष रोड, देहरादून–248001 दूरभाषः 0135–2650809 फैक्स–0135–2653010 ईमेल- <u>moef.ddn@gov.in</u>



GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADU' 25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001 PHONE- 0135-2650809 FAX- 0135-2653010 Email- <u>moef.ddn@gov.in</u>

Attachment No-17

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./09/140/2021/एफ0 सी0/1056 दिनांकः 01/19/2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत नव सिर्जित राजकीय पॉलिटेविनक चोपता (कूड़ादानकोट) में राजकीय पॉलिटेक्निक, चोपता के निर्माण हेतु 2.00 है0 वन भूंमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु राजकीय पॉलिटेक्निक, चोपता, रूद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/Others/44711/2020)

सन्दर्भः—कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 1012 / FP/UK/ Others/44711/2020 दिनांक 15-10-2022

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 07.01.2022 का उत्तर राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन उपरान्त प्रस्ताव में कुछ त्रुटियाँ पाई है। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नाँकित बिन्दु पर अभिलेख/दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट रूरे :--

- In reply to point no. 1, justification provided for proposing a non site-specific project in forest land is not sufficient. The State Govt. should provide the category-wise distribution of the area of the district (RF, Civil Soyam, Van Panchayat, Revenue, Private, etc.). The State Government is also requested to submit provide the land-use of the district and a proper justification as to why the project could not be taken at any other place in the district.
- 2. In reply to point no. 2, Residential component is given in the component-wise break-up, which may not be allowed on forest land. State Govt is requested to ensure the necessary correction in the details provided in the component wise breakup at para B 2.4 in Part I.
- 3. In reply to point no. 3, layout plan still not submitted. State Government is egain requested to submit the layout plan and activity details of each polygon/ patch separately
- 4. In reply to point no. 4, the justification provided is does not seem to be proper. State Government is requested to submit the clarification in this regard.



- 5. In reply to point no. 5, violation is reported after observation raised by this office. If the existing building was constructed before uploading the proposal under FC Act 1980, then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.
- 6. Regarding point No. 10 of this office EDS letter, the reply indicates that the State Govt. has made no efforts in avoiding forest land for the proposed non site-specific activity. However, alternatives must have been explored by the State Govt. The State Govt is requested to submit the clarification and necessary information in this regard.

यदि चाही गई सूचना पंत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय.

किशि नरवणी सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :— 1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

> (गजेन्द्र प्रकाश नरवणे) सहायक महानिरीक्षक (वन)

CALIFICATION INTERNATION

प्रेषक,

सेवामें

प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग।

उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग ।

पत्रांकः-- ८/५९ / भूमि ह० / २०२२-२३

दिनांकः २० फरवरी, 2023

Attachment No- (B

विषयः—राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग के निर्माण हेतु 02 हैक्टेयर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (PROPOSAL NO- FP/UK/OTHERS/44711/2020) में लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के फाइल सं० ८८ ८२ / २०२१ / २०२१ एफ0सी0 / १०५६ दिनांक ०१ / ११ / २०२२ के द्वारा प्रेषित पत्र में बिन्दु संख्या–१ से बिन्दु संख्या ०६ के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी है। उक्त बिन्दुओं की सूचना जिनका निराकरण कर इस पत्र से साथ प्रेषित किया जा रहा है ।

अतः उक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार ।

क्र0 स0	आपत्ति / कमियाँ	निराकरण
1.	In reply to point no,I Justification provided for proposing a non site-specific project In forest land is not sufficient. The State Govt. should provide the category- wise distribution of the area of the district (RF, Civil Soyam, Van panchayat, Revenue, private, etc). The State Government is also requested to submit provide the land -use of the district and a proper justification ad to why the project could not be taken at any other place in the district	Revised Justification is uploaded in online proposal at para D of part–I and same is uploaded in online proposal at additional documents and it is submitted in this letter at attachment at no 1. Certificate related for Category Wise Area of Land for District Rudraprayag is uploaded in online Proposal at additional documents and same is submitted in this letter at attachment no. 1. All supporting documents related to this query are attached at attachment no. 1. Attachment No-01

Cargaron

	T	
2	In reply to point no.2. Residential component is given in the component-wise break –up, which may not be allowed on	constructed in the proposed land
	forest land. State Govt. is requested to	and uploaded at para B 2.4 in part I.
	ensure the necessary correction in the details provided in the component wise	
	breakup at para B 2.4in part-I	attached in this letter at attachment 2. Attachment No-02
3	In reply to point no 3, layout plan still not submitted .State Government is again requested to submit the layout plan and activity details of each polygon/patch separately	Layout plan and activity details of each patch is submitted in this letter at attachment no 3 and same is uploaded in online proposal at additional documents. Attachment No-03
4	In reply to point no 4, the justification provided is does not seem to be proper.	Revised Justification is uploaded in online proposal at para D of part-I
	State Government is requested to submit the clarification in this regard	and same is uploaded in online proposal at additional documents and it
		is submitted in this letter at attachment at no 4.
		All supporting documents related to this query are attached at
		attachment no. 1.
5	In reply to point no 5, violation is reported after observation raised by this office. If the existing building was constructed before uploading the proposal under FC Act 1980,	This query is replied at the level of Divisional Forest Office Rudraprayag.
•	then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no	
	such information has been provided, which is required to be provided.	
6	Regarding point No. 10 of this office EDS letter, the reply indicates that the State	This query is replied at the level of Divisional Forest Office Rudraprayag.
	been explored by the State Govt. The State Govt is requested to submit the clarification and necessary information in this regard.	274 1986

05 xtraui yig Sal 21/02/2023 ्रितिनव - growing चौए

3

भवदीय,

(विकास भट्ट)

समन्वयक / प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेविनक बोपता रुद्रप्रयाज

Vanito Pages Upgrade Now SHOPPING () Home Find messages, documents, photos or people Advanced 🛩 24 图 瓣 原 @ 🔟 Gelete 🛛 😨 Spam 1 một-Archive States ← Back 4 Yahoo Mal/Inbox 🏠 Email Alert From System Inbox Administrator of Online monitoring-fc@nic.in 🔍 Unread Submission and Monitoring of tonno-fe@incar Starred Forests Clearances Add to cuntacts Proposal(OSMFCP) portal Drafts Sent Tue Feb /1, 2023 ज 1/36 PM 🕏 (100 Archive From monitoring-fc@nic.in Spam To: gpchopta123@yahoo.com Trash Ce: monitoring-fc@nic.in > Less , monitoring-fc@nic.in 1005 This is to acknowledge that a proposal seeking prior approval of Central Gc under the Forest (Conservation) Act 1980 as per the details given below successfully reuploaded on the portal of the Ministry of Environment, I Climate Change Government of India. Photos Documents Emails to myself 1. Proposal No. FP/UK/Others/44711/2020 Subscriptions CONSTRUCTION OF GOVERNMEN 2. Proposal Name POLYTECHNIC CHOPTA Receipts 3. Category of the Proposal ; Others Credits 4. Date of Submission 29/02/2020 - Travel 5. Name of the Applicant with Contact Details : Tapan Name Folders 9997709333 Mobile No. : Uttarakhand State District Rudraprayag : 246442 Pincode 6. Area Applied (ha.) : 2 The same has been forwarded to OFO for the processing.

TRACTOR

1/1





ई, मेल :- dforudraprayag @gmail.com फोन / फैक्स नं0 :- 01364 - 233505:: पता — माई की मढी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

12-1(2) पत्रांक— / 3043

दिनांक

06/03/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,

गढवाल वृत्त, उत्तराखण्ड,

जनपद-रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत नव सिर्जित राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (कुण्डादानकोट) के निर्माण हेतु 2.00 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग को विषय— प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में।

PROPOSAL NO. - FP/UK/OTHERS/44711/2020

भारत सरकार की पत्र संख्या—8बी. / यू.सी.पी. / 09 / 140 / 2021 / एफ.सी0 / 1056 दिनांक सन्दर्भ :--01.11.2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार स्तर से लगाई गई रुद्रप्रयाग चोपता, पॉलीटेक्निक निराकरण प्रधानाचार्य, राजकीय पत्रांक–449 / भूमिह0 / 2022–23 दिनांक 02.02.2023 के द्वारा निम्न प्रकार प्रेषित किया है, तथा जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन पार्ट–। के additional information detail में ऑनलाईन अपलोड किया गया है।

ब्र	आपात	निराकरण
1	In reply to point no,I Justification provided for proposing a non site- specific project In forest land is not sufficient. The State Govt. should provide the category- wise distribution of the area of the district	Revised Justification is uploaded in online proposal at para D of part–I and same is uploaded in online proposal at additional documents and it is submitted in this letter at attachment at no 1. Certificate related for Category Wise Area of Land for District Rudraprayag is uploaded in online Proposal at additional documents and same is submitted in this letter at attachment no. 1. All supporting documents related to this query are attached at attachment no. 1. Attachment No-01
2	In reply to point no.2. Residential component is given in the component-wise break-up, which may not be allowed on forest land. State Govt. is requested to ensure the necessary correction in the details provided in the component wise breakup at para B 2.4in part I	Residential building will not be constructed in the proposed land. Component wise breakup is revised and uploaded at para B 2.4 in part I. Document related to this query is attached in this letter at attachment 2. Attachment No-02
3	In reply to point no 3, layout plan still not submitted .State Government is again requested to submit the layout plan and activity details of each polygon/patch separately	Layout plan and activity details of each patch is submitted in this letter at attachment no 3 and same is uploaded in online proposal at additional documents. Attachment No-03
4	In reply to point no 4, the justification provided is does not seem to be proper. State Government is requested to submit the clarificationin this regard	Revised Justification is uploaded in online proposal at para D of part-I and same is uploaded in online proposal at additional documents and it is submitted in this letter at attachment at no 4. All supporting documents related to this query are attached at attachment no. 1 .

In reply to point no 5, violation is reported after observation raised by this office. If the existing building was constructed before uploading the proposal under FC Act 1980, then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided. a water after after as strateff a data are tradefine and the tradeefine and the tradefine and trade			
6nearby village level, revenue level and private level, but proper and suitable land was not found available for establishment of polytechnic in nearby places. A meeting was held with the village heads of the nearby 4 gram panchayats (Kunda dankot, Kolu-Bhannu, Gorna and Tadag) for the availability of private land, but all the village heads said that land was not available, in relation to which all the 4 village heads signed certificate of non- availability of suitable private land was given. The certification and necessary information in this regard.6nearby village level, revenue level and private level, but proper and suitable land was not found available for establishment of polytechnic in nearby places. A meeting was held with the village heads of the nearby 4 gram panchayats (Kunda dankot, Kolu-Bhannu, Gorna and Tadag) for the availability of private land, but all the village heads said that land was not available, in relation to which all the 4 village heads signed certificate of non- availability of suitable private land was given. The certificate of non-availability of any other revenue land has also been given by Tehsildar and Sub-Divisional Officer, Rudraprayag. All supporting documents related to this query are attached at attachment no. 1.	5	reported after observation raised by this office. If the existing building was constructed before uploading the proposal under FC Act 1980, then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information has been provided, which is	संबंधित प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रश्नगत प्रकरण को वन भूभ हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 31.07.2015 (संलग्नक–4) को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड किया गया तत्पश्चात वन भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत अगस्त्यमुनि रेंज ने अपने पत्रांक–260/12 दिनांक 23.10.2015 (संलग्नक–5) के द्वारा संबंधित विभाग को बिना वन भूमि हस्तान्तरण/स्वीकृति के किये जा रहे निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया तथा इस कार्यालय को सूचित किया गया। उक्त के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके पत्रांक–372/भूमि विषयक–2015–16 दिनांक 04.11.2015 (संलग्नक–6) के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल राजस्व भूमि/9(ख)–2 तथा वहां पर कोई जंगल न होने के कारण जानकारी के अभाव में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक–1304/12–1(2) दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक–7) के द्वारा पूर्व में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रेषित की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 को रथलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विवरण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक–8) तथा परिवेश पोर्टल के पैरा–11 (संलग्नक–9) में अंकित कर ऑनलाईन अपलोड किया गया। चूंकि प्रस्ताव गठित के बाद निर्माण कार्य अवैध रुप से किया गया था। अतः IFA 1927 में कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी, परन्तु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उल्लंघन संबंधी सूचना
संलग्नक — उपरोक्तानुसार। (मूल सहित 04 प्रतियों में) भवदीय		office EDS letter, the reply indicates that the State Govt. has made no efforts in avoiding forest land for the proposed non site- specific activity. However, alternatives must have been explored by the State Govt. The State Govt is requested to submit the clarification and necessary information in this regard.	nearby village level, revenue level and private level, but proper and suitable land was not found available for establishment of polytechnic in nearby places. A meeting was held with the village heads of the nearby 4 gram panchayats (Kunda dankot, Kolu-Bhannu, Gorna and Tadag) for the availability of private land, but all the village heads said that land was not available, in relation to which all the 4 village heads signed certificate of non- availability of suitable private land was given. The certificate of non-availability of any other revenue land has also been given by Tehsildar and Sub-Divisional Officer, Rudraprayag. All supporting documents related to this query are attached at attachment no. 1 .
	तंलग्नक	:– उपरोक्तानुसार। (मूल सहित 04 प्रतियों	में) भवदीय

(2)

उप वन संरक्षक,

रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या – <u>3043 / दिनांकित।</u> प्रतिलिपि – प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

OIC